CHILD LINE 1098 NIGHT & DAY

POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण - देश रोशन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार

वेबसाइट: www.wcd.nic.in

nari shakti puraskar
नारी शक्ति पुरस्कार

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्रीमती मेनका संजय गांधी
महिला एवं बाल विकास मंत्री

डॉ0 वीरेन्द्र कुमार
राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास

चार वर्षों (2014 - 2018) की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

श्री रामनाथ कोविंद, भारत के महामहिम राष्ट्रपति और
श्रीमती मेनका संजय गांधी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री,
नारी शक्ति पुरस्कार, 2017 की विजेताओं के साथ

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
wcd.nic.in

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

चार वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

4
वर्षों

2014-2018

विषय सूची

महिलाओं से संबंधित मुद्दे

1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2
2. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) 4
3. वन स्टॉप सेंटर (सखी) 9
4. 181 – महिला हेल्पलाइन 11
5. मोबाइल फोनों में पैनिक बटन 12
6. महिलाओं की सुरक्षा के लिए परियोजनाएं 12
   8 नगरों में सुरक्षित नगर परियोजनाएं केंद्रीय फोरेंसिक साईंस प्रयोगशालाएं समेकित आपात प्रत्युत्तर प्रबंधन; केंद्रीय पीड़िता क्षतिपूर्ति कोष, महिला पुलिस वालंटियर्स, राजस्थान सरकार द्वारा चिराली परियोजना, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अभय परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए परियोजना तथा कर्नाटक सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए परियोजना
7. पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण 16
8. महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) 17
9. मैट्रिमोनियल वैबसाइटों का सुरक्षित प्रयोग 17
10. अप्रवासी भारतीयों के वैवाहिक विवाद 18
11. जेंडर चैम्पियंस 18
12. मृत्यु प्रमाण पत्रों पर विधवाओं के नाम का अनिवार्य उल्लेख 19
13. वृंदावन, उत्तर प्रदेश में विधवाओं के लिए आश्रय गृह 19
14. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण 20
15. प्रसूति अवकाश की अवधि को बढ़ाना 20
16. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न 21
17. राष्ट्रीय महिला कोष 23
18. महिला ई–हाट 24
19. भारत की महिलाएं – प्रदर्शनियां/महोत्सव 25
20. राष्ट्रीय महिला नीति, 2017. 26

विषय सूची

महिलाओं से संबंधित मुद्दे

21. पासपोर्ट नियमावली में संशोधन 27
22. मानव तस्करी से संबंधित कानून 27
23. एसिड अटैक के पीड़ितों के लिए कार्यवाही करना 28
24. कामकाजी महिला हॉस्टल 29
25. शी–बॉक्स 30
26. नई टैक्सी नीति (दिशा–निर्देश) 31
27. साइबर अपराध 31
28. बाल विवाह 32
29. नारी 33
30. स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 34
31. जन शिकायत प्रकोष्ठ 34
32. ई–संवाद 34
33. प्रथम महिलाओं का सम्मान समारोह 35

बच्चों से संबंधित मुद्दे

1. लापता/मानव तस्करी के शिकार/घर से भागे हुए बच्चों के संबंध में उठाए गए कदम. . . 37
2. पॉक्सो ई–बॉक्स 39
3. किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियमावली, 2016 40
4. दत्तक–ग्रहण विस्तृत सुधार 41
5. कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता पैदा करना 42
6. क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर 43
7. हौंसला, 2017 का आयोजन 43
8. बाल देखरेख संस्थाओं का पंजीकरण 43

विषय सूची

बच्चों से संबंधित मुद्दे

9. मनोवैज्ञानिक आघात, बाल संरक्षण और मानसिक बीमारियों पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन . . . 44
10. बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना . . . 44
11. राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम . . . 45
12. पोषण अभियान . . . 46
13. आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे में सुधार . . . 48
14. पूरक पोषण (आईसीडीएस के अंतर्गत) नियमावली, 2017 . . . 49
15. आईसीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा पोषण सुधार परियोजना (इसनिप) . . . 50
16. किशोरियों के लिए स्कीम . . . 51
17. जंक फूड के संबंध में दिशानिर्देश . . . 52
18. खाद्य एवं पोषण बोर्ड की प्रमुख कदम . . . 52

अन्य

1. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण . . . 55
2. ई–ऑफिस का क्रियान्वयन . . . 56
3. सहयोगी गैर–सरकारी संगठन (पार्टनर एनजीओ) का पहला सम्मेलन . . . 57
4. अनुसंधान . . . 57
5. इंटर्नशिप कार्यक्रम . . . 57
6. सोशल मीडिया पर सहभागिता . . . 58

सत्यमेव जयते

मेनका संजय गांधी
Maneka Sanjay Gandhi

मंत्री
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार,
नई दिल्ली–110001

17 मई, 2018

संदेश

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। 'सुशासन' और 'सबका साथ, सबका विकास' के उनके आदर्श वाक्यों से बुनियादी स्तर पर पूरे देश में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश में महिलाओं और बच्चों के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने के लिए अपने अद्वितीय प्रयासों के फलस्वरूप अद्भुत प्रगति की है। अन्य उपायों के साथ–साथ व्यक्तियों के अवैध व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, शी–बॉक्स तथा ई–बॉक्स, कारा, वन स्टॉप सेंटर्स, चाइल्डलाइन, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ तथा प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना जैसी पहलों के फलस्वरूप महिलाओं और बच्चों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है, उनके अधिकारों के बारे में जागरुकता पैदा हो रही है तथा उनकी वृद्धि और विकास के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित इस पुस्तिका में भारत में महिलाओं और बच्चों को पेश आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए हमारी सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों का समावेश है।

'महत्वपूर्ण उपलब्धियां (2014–18)' महिलाओं और बच्चों के लिए हमारी सरकार की विचक्षणता और माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में शुरू की गई युगांतरकारी पहलों के माध्यम से प्राप्त इस मंत्रालय की उपलब्धियों के लिए उपयोगी संदर्भ के रूप में कार्य करेंगी।

Maneka Sanjay Gandhi

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

सत्यमेव जयते

डॉ. वीरेंद्र कुमार
Dr. Virendra Kumar

राज्यमंत्री
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार,
नई दिल्ली–110001

17 मई, 2018

संदेश

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2014 से माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के अभिनव नेतृत्व और प्रतिभाशाली माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती मेनका संजय गांधी के प्रभार में देश में महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रभावशाली कार्य किया है। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि मंत्रालय इस पुस्तिका को प्रकाशित कर रहा है, जिसमें वर्ष 2014–2018 तक की अवधि में मंत्रालय की उपलब्धियों को प्रकाशित किया गया है।

यह पुस्तिका विगत चार वर्षों में मंत्रालय की विभिन्न गतिविधियों के संकलन मात्र से कहीं अधिक है। भारत में महिलाओं और बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए ठोस उपायों और मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों को स्पष्ट करने का कार्य बहुत ध्यानपूर्वक किया गया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सम्मुख आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करते हुए महिलाओं और बच्चों दोनों के समान विकास की प्राप्ति के लिए उपयुक्त पद्धतियों को संस्थागत बनाया गया है। मेरा मानना है कि माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती मेनका संजय गांधी के अधीन मंत्रालय द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में यह पुस्तिका एक सूचनाप्रद जन प्रलेख साबित होगी।

जिस टीम ने इस पुस्तिका को तैयार कराने में सहयोग दिया है, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ।

(डॉ0 वीरेन्द्र कुमार)

महिलाओं से संबंधित मुद्दे

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत उपलब्धियां

1. माननीय प्रधानमंत्री ने 31.12.2016 को अपने संबोधन में घोषणा की थी कि प्रसूति लाभ कार्यक्रम का पूरे भारत में क्रियान्वयन किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने तत्काल इस स्कीम पर कार्य करना शुरू किया और एक विस्तृत स्कीम तैयार की, जिसे मंत्रीमंडल ने 17.05.2017 को अपना अनुमोदन प्रदान किया। स्कीम के बारे में प्रशासनिक अनुमोदन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 19.05.2017 को संप्रेषित किया गया।

2. इस स्कीम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को स्तनपान कराने वाली माताओं द्वारा कतिपय शर्तों को पूरा करने पर उनकी गर्भावस्था और स्तनपान कराने की अवधि के दौरान सीधे उनके बैंक/डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए तीन किश्तों में 5,000/–रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की जाती है । लाभार्थी को जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत भी लाभ मिलते हैं, जिससे कि एक लाभार्थी को औसतन 6,000/–रुपये मिल जाते हैं।

3. परिवार में जन्म लेने वाले पहले बच्चे के लिए सभी पात्र गर्भवती महिलाएं स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की हकदार हैं। सभी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (केंद्रीय तथा राज्य) में कार्यरत कर्मचारी अथवा ऐसे कर्मचारी, जो इस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत इसी प्रकार के अन्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इस स्कीम में शामिल नहीं हैं। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत लाभ 01.01.2017 से मिल रहे हैं।

4. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में तैयार किया गया है, जिसके अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लागत भागीदारी के अनुपात के आधार पर सहायतानुदान निर्मुक्त किया जा रहा है। केंद्र और राज्यों तथा विधानसभाओं वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच का अनुपात 60:40 है, पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90:10 है और बिना विधानसभाओं वाले संघ राज्य क्षेत्रों को शत–प्रतिशत सहायतानुदान दिया जाता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निधियों को रोके बिना लाभार्थियों को निधियों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस स्कीम में यह प्रावधान है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने स्तर पर इस स्कीम के लिए एक एस्क्रो खाता खोलेंगे। भारत सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने–अपने हिस्से की निधियां इस खाते में हस्तांतरित करते हैं, ताकि राशि को आगे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित किया जा सके।

5. चूंकि, इस स्कीम में लाभार्थी को सीधे नकद हस्तांतरण परिकल्पित है, इसलिए पूर्णतः सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित एक आधुनिक क्रियाविधि बनानी पड़ी और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 01.09.2017 को सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई–सीएएस), क्रियान्वयन दिशानिर्देश और इसकी प्रयोक्ता नियमावली लागू की गई। लाभार्थियों के आधार ब्यौरे के इस्तेमाल से पीएमएमवीवाई–सीएएस द्वारा पूरे देश में विशिष्ट लाभार्थियों की पहचान और वि–आवृत्ति की जा सकती है। नकली लाभार्थियों की पहचान करने के अलावा पीएमएएमवीवाई–सीएएस से लाभार्थी पूरे देश में किसी भी स्थान से तीन किश्तों में से किसी भी किश्त का दावा कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्कीम के अंतर्गत प्रवासी नागरिक वर्ग की आवश्यकता भी पूरी हो सके। इसके अलावा, पीएमएमवीवाई–सीएएस से प्राप्त प्रासंगिक आंकड़ों के इलैक्ट्रॉनिकली संसाधन द्वारा लाभार्थी की पात्रता का स्वतः ही वैधीकरण हो जाता है। इस उपाय से यह सुनिश्चित किया जाता है कि लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही हस्तांतरित हों। इस प्रकार, स्कीम में इस पद्धति को अपनाने से नकली लाभार्थियों और एक ही लाभार्थी को कई बार भुगतान की संभावना को भी खत्म किया जा सकेगा। आवेदन प्रस्तुती की तारीख से प्रोत्साहन राशि के संवितरण में लगने वाले समय को भी मॉनीटर किया जाता है, जो कि इस समय लगभग 30 दिन है और जैसे ही यह स्कीम स्थिर होती जाएगी, इस समय अवधि के और भी कम हो जाने की संभावना है।

6. मंत्रालय ने इसी के साथ–साथ इस स्कीम को शुरू करने के लिए राज्यों की क्षमता का निर्माण करना भी शुरू कर दिया। 19.05.2017 को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमएमवीवाई–सीएएस पर प्रारंभिक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों/मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए सितम्बर से अक्तूबर, 2017 तक 12 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के इस्तेमाल पर नई दिल्ली में 31.10.2017 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा क्षेत्र स्तर के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल भी उपलब्ध करा दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस स्कीम के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रालय नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहा है।

7. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए बजट आबंटन 2700.00 करोड़ रुपये था, जिसे संशोधित प्राक्कलन स्तर पर घटाकर 2594.55 करोड़ रुपये कर दिया गया । इस राशि में से, वर्ष 2017–18 में सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2048.25 करोड़ रुपये स्वीकृत/जारी किए जा चुके हैं।

8. पीएमएमवीवाई–सीएएस के संबंध में अब तक 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 26,87,803 लाभार्थियों से 47,70,529 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं (04.05.2018 तक की स्थिति)। 17,43,754 लाभार्थियों को 4,40,57,62,000/–रुपये का प्रसूति लाभ दिया जा चुका है ।

9. इस स्कीम में लाभार्थी की अवस्थिति का पता लगाने के लिए एलजीडी (स्थानीय सरकार निर्देशिका) कोड का इस्तेमाल अनिवार्य है। इसमें सभी गांवों, आंगनवाड़ी/आशा/एएनएम और उनके पर्यवेक्षण अधिकारियों के संबंध में नए ब्यौरों की प्रविष्टि अपेक्षित है । आज तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 717 जिलों से 90% से भी अधिक क्षेत्र कार्यकर्ताओं का मानचित्रण और पीएमएमवीवाई–सीएएस पर अपलोड किया जा चुका है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) के अंतर्गत उपलब्धियां

वर्ष 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात (सीएसआर) में भारी गिरावट के रूख का पता चला। 0–6 वर्ष आयु वर्ग में लड़कों की 1000 संख्या पर लड़कियों की संख्या 918 दर्ज की गई। वर्ष 1961 से बाल लिंग अनुपात में लगातार गिरावट (1961 में 976 से 2001 में 927 और 2011 में 918) गंभीर चिंता का विषय था, क्योंकि इससे हमारे समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति और पूरे जीवन चक्र में उसका निरूशक्तिकरण परिलक्षित हुआ। घटता बाल लिंगानुपात जन्म–पूर्व भेदभाव का भी द्योतक है, जो जेंडर पूर्वाग्रह के आधार पर लिंग चयन के माध्यम से परिलक्षित होता है। इससे लड़कियों के साथ स्वास्थ्य देखरेख, पोषण और शैक्षणिक अवसरों के संदर्भ में जन्मोपरांत भेदभाव का भी पता चलता है। इस परिदृश्य में, माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम के रूप में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) स्कीम की शुरूआत की, जिसका उद्देश्य घटते बाल लिंग

बीबीबीपी सप्ताह समारोह में रायगढ़, छत्तीसगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो बनाने के दौरान 3000 बच्चों ने भाग लिया

अनुपात की समस्या और पूरे जीवन चक्र में महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान करना है। यह स्कीम महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों का त्री–मंत्रालयी अभिसरण प्रयास है, जिसमें लोगों की सोच को बदलने के लिए जागरुकता पैदा करने और समर्थन अभियान चलाने, चुनिंदा 100 जिलों (प्रथम चरण) + 61 जिलों (द्वितीय चरण) (बाल लिंग अनुपात की दृष्टि से निम्न) में बहुक्षेत्रक कारवाई करने, लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्ति का वातावरण बनाने तथा गर्भाधान–पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम के कारगर प्रवर्तन पर बल दिया गया है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश अंडमान में एक नए पोत की शुरूआत के साथ

माननीय प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर 405 जिलों में मल्टी–सेक्टोरल हस्तक्षेप और सतर्क ज़िला मीडिया और समर्थन तथा 235 जिलों में सतर्क जिला प्रचार, समर्थन और विस्तार के माध्यम से 08 मार्च, 2018 को झुंझुनु, राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, सभी 640 जिलों को शामिल करते हुए बीबीबीपी स्कीम के विस्तार की आधिकारिक घोषणा की। यह स्कीम जिला उपयुक्त प्राधिकरण के माध्यम से चलाई जा रही है और निधियों का हस्तांतरण सीधे संबंधित जिलों को किया जा रहा है।

स्कीम के उद्देश्य:

क) पूर्वाग्रह पर आधारित लिंग चयन का उन्मूलन;
ख) बालिका की उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करना;
ग) बालिका की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना;

बीबीबीपी स्कीम के अंतर्गत निगरानी करने योग्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:

i. जेंडर की दृष्टि से चुनिंदा महत्वपूर्ण जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में एक वर्ष में दो अंक का सुधार करना।
ii. संस्थागत प्रसव के मामलों में प्रति वर्ष 1.5% की वृद्धि करना।
iii. प्रथम तिमाही एएनसी पंजीकरण में प्रति वर्ष 1% वृद्धि करना।
iv. वर्ष 2018–19 तक माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाकर 82% करना।
v. चुनिंदा जिलों में प्रत्येक स्कूल में लड़कियों के लिए शौचालय प्रदान करना।
vi. 5 वर्ष से कम आयु की लड़कियों में कम वजनी और रक्ताल्पता से पीड़ित लड़कियों की संख्या को कम करके उनकी पोषण स्थिति में सुधार करना।
vii. आईसीडीएस, एनएचएम मातृ बाल संरक्षण कार्डों के संयुक्त प्रयोग द्वारा आईसीडीएस सर्वसुलभीकरण, लड़कियों की उपस्थिति और समान देखरेख की मॉनीटरिंग सुनिश्चित करना।
viii. बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन के माध्यम से लड़कियों के लिए संरक्षणात्मक वातावरण को बढ़ावा देना।
ix. निर्वाचित प्रतिनिधियों/समुदाय में ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना।

प्रमुख घटक

इस पहल के दो प्रमुख घटक हैं:

(I) समर्थन और मीडिया संचार अभियान – इस स्कीम के अंतर्गत लड़कियों के जन्म पर उत्सव मनाने और उसे शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लड़कियों का जन्म, पालन–पोषण और शिक्षा बिना किसी भेदभाव के हो, जिससे वे समान अधिकारों के साथ देश की सशक्त नागरिक बन सकें। पूरे देश में इस मुद्दे पर जागरुकता पैदा करने और जानकारी का प्रसार करने के लिए 360 डिग्री दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है । इसमें हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो कार्यक्रम/जिंगल, टेलीविजन द्वारा प्रचार, मोबाइल प्रदर्शनी वैनों, सोशल मीडिया और क्षेत्रीय प्रचार के माध्यम से समुदाय की सहभागिता शामिल है। अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में एसएमएस अभियानों, मेलरों, हस्तपन्नों, चौपन्नों तथा अन्य आईइसी सामग्री के जरिए जागरुकता पैदा की जाती है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, माई–जीओवी, विकासपीडिया जैसे सोशल मीडिया मंचों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वैबसाइट आदि का इस्तेमाल सूचना के प्रसार के लिए किया जाता है।

दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा आयोजित
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह समारोह में शिशु बालिकाएं और उनकी माताएं

जनवरी, 2015 में बीबीबीपी कार्यक्रम की शुरूआत के पश्चात जन्मी बालिकाओं की 200 माताओं के साथ 08 मार्च, 2018 को झुंझुनु में बातचीत करते माननीय प्रधानमंत्री

(ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चुनिंदा 405 जिलों (मौजूदा 161 जिलों सहित) में बहुक्षेत्रक कारवाई के जरिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से स्कीम के अंतर्गत उपायों तथा क्षेत्रक कारवाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बाल लिंगानुपात में सुधार करने के लिए परिमेय निष्कर्षों और संकेतों के जरिए संबंधित क्षेत्रों, राज्यों और जिलों को तत्काल समन्वित बहुक्षेत्रक कारवाई करने के लिए एकत्रित किया जा सकेगा। राज्य विशिष्ट परिमेय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य/जिला कार्य योजनाओं के विकास, क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए राज्य कार्य बलों द्वारा बहुक्षेत्रक कारवाई हेतु एक लचीला ढांचा निर्धारित किया जाएगा और अपनाया जाएगा। इसी प्रकार, विभिन्न राज्यों/जिलों के संदर्भ में राज्य/जिले अपनी–अपनी योजनाएं तैयार करेंगे।

नव–चयनित 244 जिलों में बीबीबीपी स्कीम का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के संबंध में अभिविन्यास और संचेतना पैदा करने के लिए स्कीम के अंतर्गत बहुक्षेत्रक गतिविधियों के संबंध में बीबीबीपी पर 04 मई, 2018 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके अलावा, नव–चयनित जिलों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रैंस का भी आयोजन किया गया।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

2014-15 | 2015-16 | 2016-2017 | 2017-2018

सभी 640 जिलों को शामिल करते हुए बीबीबीपी स्कीम का पूरे भारत में विस्तार

चुनिंदा 405 जिलों (बाल लिंगानुपात की दृष्टि से निम्न) में बहुक्षेत्रक कारवाई

235 जिलों में सतर्क जिला मीडिया, समर्थन और विस्तार

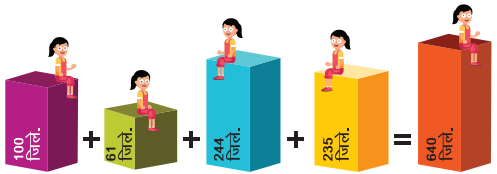

बीबीबीपी की शुरूआत से 161 जिलों में से 104 जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में वृद्धि

640 जिले

बहुक्षेत्रक कारवाई तथा मीडिया समर्थन और विस्तार के माध्यम से घटते बाल लिंगानुपात तथा पूरे जीवन चक्र में महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भारत सरकार का मुख्य कार्यक्रम

जनवरी, 2015 में शुभारंभ

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार *640 जिले

वन स्टॉप सेंटर – सखी

हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए एकल खिड़की सेवाएं

हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय मांगने के लिए अक्सर जटिल पद्धतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे एफआईआर दर्ज कराना, वकील की सेवाएं लेना, चिकित्सा जांच करवाना आदि। हिंसा की घटनाओं के पश्चात इस प्रकार की प्रक्रिया तथा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबाव के कारण महिलाओं का जीवन और अधिक आघातकारी बन जाती है। इस तरह, आमतौर पर बहुत सी महिलाएं हिंसा का सामना करती रहती हैं लेकिन उसके बारे में रिपोर्ट नहीं करती।

इस प्रकार की पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए इस मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की एक नवीन पहल के बारे में सोचा गया, जिसे वर्ष 2015 से पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। हिंसा का सामना करने वाली महिला वन स्टॉप सेंटर में जाकर एक ही स्थान पर चिकित्सा, पुलिस, कानूनी और मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता प्राप्त कर सकती है। वन स्टॉप सेंटर में, जिसका लोकप्रिय नाम सखी है, पीड़ित महिला आवश्यकतानुसार अस्थायी तौर पर रह सकती है।

अब तक 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रकार के 182 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। इन सेंटरों में 1.3 लाख से भी अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई। देश में हर जगह पीड़ित महिलाओं को इस प्रकार की अनिवार्य सेवा प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 तक देश के प्रत्येक जिले में एक वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया जाएगा। पीड़ित महिलाओं को यथासंभव सेवा और सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर को 181 महिला हैल्पलाइन तथा अन्य मौजूदा हेल्पलाइनों के साथ जोड़ा जा रहा है।

वन स्टॉप सेंटर्स

182

महिलाओं को एकल खिड़की सेवा प्रदान कर रहा है, पूरे देश में स्थापित वन स्टॉप सेंटरों में हिंसा की शिकार महिलाओं के

1,00,000

मामले निपटाए गए

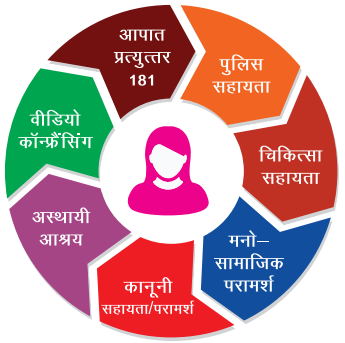

वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत प्रदत्त सेवाएं

हिंसा से प्रभावित महिलाओं को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए एक छत्रक स्कीम

अप्रैल, 2015 में शुभारंभ

181 महिला हेल्पलाइन

महिलाओं को तुरंत सहायता और सूचना प्रदान करने के लिए
पूरे भारत में टोल फ्री नम्बर

महिला हेल्पलाइन, जो कि पूरे देश में टोल फ्री नम्बर 181 है, के माध्यम से हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चौबीसों घंटे आपात और गैर–आपात सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह सेवा 01 अप्रैल, 2015 से प्रदान की जा रही है और इसके अंतर्गत प्रभावित महिलाओं को पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल आदि जैसे उपयुक्त प्राधिकरणों से संपर्क साध कर सहायता प्रदान की जाती है। 181 हेल्पलाइन के जरिए महिलाओं से संबंधित सरकारी स्कीमों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी प्रदान की जाती है। 181 को वन स्टॉप सेंटर्स के साथ जोड़ा जा रहा है तथा जरूरतमंद महिलाओं को सहायता के लिए यहां भेजा जाता है।

अब तक यह हेल्पलाइन 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, उत्तराखंड, मिजोरम, झारखंड, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, दमन व दीव, दादर व नगर हवेली, राजस्थान, पुदुचेरी, मणिपुर और तेलंगाना में परिचालित हो चुकी है।

16.5 लाख से अधिक प्रभावित महिलाओं को महिला हेल्पलाइन के जरिए सहायता प्रदान की जा चुकी है।

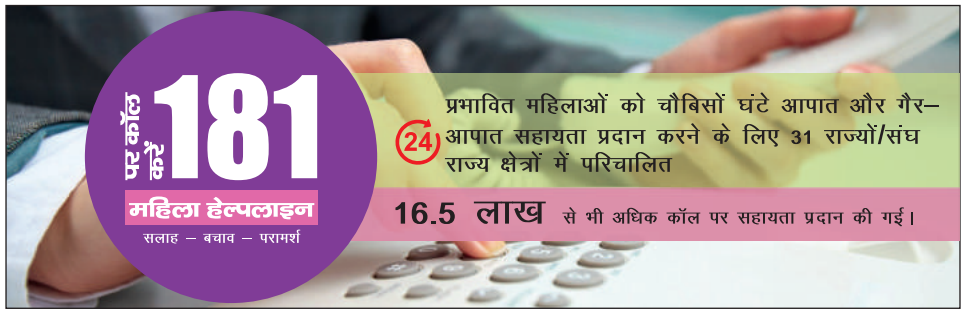

पैनिक बटन

संकट की स्थिति में तुरंत सहायता के लिए आपात बटन

मंत्रालय कठिनाई के समय महिलाओं को तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए सभी मोबाइल फोनों में पैनिक बटन लगाने का प्रावधान करने के पीछे गम्भीरता से प्रयासरत हैं। मंत्रालय के एक अद्वितीय कदम के रूप में मोबाइल फोनों में पैनिक बटन लगाना अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अलावा, संचार मंत्रालय की एक अधिसूचना के माध्यम से 01 जनवरी, 2018 से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि स्मार्ट फोन हैंडसैट बनाने वाली कोई भी कम्पनी जीपीएस के माध्यम से लोकेशन का पता लगाए जाने की सुविधा के बिना भारत में कोई भी नया स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं बेचेगी।

फोन में पैनिक बटन की सुविधा से आपात स्थिति में जीपीएस के माध्यम से लोकेशन का पता लगाकर नजदीकी पीसीआर और चुनिंदा पारिवारिक सदस्यों/मित्रों को मैसेज भेजा जा सकता है। इसे गृह मंत्रालय के सहयोग से 112 नम्बर फोन, जो कि एमरजेंसी रिस्पोंस सपोर्ट सिस्टम है, से जोड़ा जा रहा है। पैनिक बटन के परीक्षण के कार्य का पहला चरण उत्तर प्रदेश में पूरा हो चुका है और इसके पश्चात शीघ्र ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा ।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए परियोजनाएं

महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए निर्भया कोष के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं

भारत सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पहलों के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2013 में निर्भया कोष नामक एक विशेष गैर–व्यपगत कोष का गठन किया था। तथापि, इस कोष का कभी भी पूर्ण उपयोग नहीं किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निर्भया कोष के अंतर्गत प्राप्त स्कीमों/प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए नोडल प्राधिकरण हैं।

निर्भया कोष के अंतर्गत वर्ष 2018–19 तक 3600 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। तथापि, जिस तरीके से कोष का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस तरीके में पूर्ण बदलाव के पश्चात लगभग 6052 करोड़ रुपये की राशि का पूरे देश में अलग–अलग अनेक परियोजनाओं के लिए अब तक मूल्यांकन किया जा चुका है। आगामी कुछ वर्षों में इस कोष के उपयोग के फलस्वरूप महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार आएगा।

क. आठ शहरों में सुरक्षित शहर परियोजनाएं

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'सुरक्षित शहर परियोजना' के अंतर्गत हाल ही में 8 प्रमुख शहरों में निर्भया कोष के अंतर्गत 2,919.55 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है।

इन नगर स्तरीय परियोजनाओं की योजनाएं, संबंधित शहरों के नगर निगमों और पुलिस आयुक्तालयों के सहयोग से तैयार की गई हैं। इसका उद्देश्य स्ट्रीट लाइटिंग, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, बेहतर पुलिस व्यवस्था आदि जैसे विभिन्न पहलुओं में सुधार करके शहरों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना है।

दिल्ली	663.67 करोड़	बैंगलुरु	667.00 करोड़
चेन्नई	425.06 करोड़	हैदराबाद	282.50 करोड़
मुम्बई	252.00 करोड़	लखनऊ	195.00 करोड़
अहमदाबाद	253.00 करोड़	कोलकाता	181.32 करोड़
कुल मूल्यांकित राशि 2,919.55 करोड़			

ख. केंद्रीय फोरैंसिक साइंस प्रयोगशाला, चंडीगढ़

निर्भया कोष के अंतर्गत हाल ही में चंडीगढ़ में 99.76 करोड़ रुपये की लागत से एक मॉडल केंद्रीय फोरैंसिक साइंस प्रयोगशाला स्थापित करने की परियोजना पर काम चल रहा है। इसमें उच्च अवसंरचना और उपकरणों के साथ चंडीगढ़ में स्थित प्रयोगशाला को अपग्रेड करना शामिल है। नए प्रस्ताव से चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय फोरैंसिक साइंस प्रयोगशाला की क्षमता 153 मामले प्रति वर्ष से बढ़कर 2000 मामले प्रति वर्ष हो जाने की संभावना है। इससे देश में, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में, जहां यौन हिंसा के सर्वाधिक मामले लंबित हैं, फोरैंसिक साइंस डीएनए विश्लेषण के लंबित मामलों को निपटाने में काफी मदद मिलेगी।

ग. एकीकृत आपात प्रत्युत्तर प्रबंधन

एकीकृत आपात प्रत्युत्तर प्रबंधन परियोजना रेलवे द्वारा चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत, स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों को चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए 983 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और मॉनीटरिंग कक्ष बनाए जा रहे हैं।

घ. केंद्रीय पीड़िता क्षतिपूर्ति कोष

निर्भया, जो एक कोर्पस फंड है, इसके अंतर्गत एक केंद्रीय पीड़िता क्षतिपूर्ति कोष बनाया गया है, जो कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पीड़िता क्षतिपूर्ति स्कीमों के लिए सहायता देगा। इससे अपराधों और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को समय पर पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है।

ड़ महिला पुलिस वालंटियर्स: इस स्कीम का अधिदेश महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, जैसे घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न तथा सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, की घटनाओं की रिपोर्ट प्राधिकारियों/पुलिस को देना है।

हरियाणा पहला ऐसा राज्य है, जहां महिला पुलिस वालंटियर्स स्कीम का परिचालन हुआ। करनाल और महेन्द्रगढ़ जिलों में 14 दिसम्बर, 2016 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा हरियाणा सरकार द्वारा करनाल में संयुक्त रूप से शुरू किया गया। इसके पश्चात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्यों ने भी इस स्कीम को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। अब तक लगभग 6000 महिला पुलिस वालंटियर्स नियुक्त की जा चुकी हैं। अन्य राज्यों द्वारा भी शीघ्र ही यह स्कीम शुरू किए जाने की संभावना है।

महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में शून्य सहनशीलता के उद्देश्य से बनाई गई स्कीम

- 14 दिसम्बर, 2016 को करनाल में प्रारंभ
- 6000 से भी अधिक महिला पुलिस वालेंटियर्स नियुक्त
- आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी क्रियान्वित

च. राजस्थान सरकार द्वारा चिराली परियोजना

राजस्थान सरकार द्वारा 'चिराली' नामक एक परियोजना चलाई जा रही है, जिससे राज्य के 07 जिलों में लड़कियों और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बन रहा है, जिससे वे आजादी से घूम फिर सकती हैं और अपनी इच्छानुसार, अवसर और विकल्पों का चुनाव कर सकती हैं।

छ. आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अभय परियोजना

आंध्र प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय परियोजना क्रियान्वित कर रही है। इस परियोजना में टैक्सियों और ऑटोरिक्शा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए वास्तविक समय अंतःक्षेप के लिए एक समेकित प्रणाली विद्यमान है।

ज. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए परियोजना

उत्तर प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक परियोजना चला रही है, जिसमें महिला कंडक्टरों, गार्डों की तैनाती और इलैक्ट्रॉनिक निगरानी (जीपीएस, सीसीटीवी, पैनिक बटन आदि) शामिल है।

झ. कर्नाटक सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए परियोजना

कर्नाटक सरकार अपने सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा की एक पहल को क्रियान्वित कर रही है। कर्नाटक सरकार भारी यात्री वाहन लाइसेंस देने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही है, महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं के लिए विश्राम कक्ष बना रही है और महिला सुरक्षा पर एक अभियान चला रही है।

पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण

पुलिस को महिलाओं के लिए अधिक मैत्रीपूर्ण बनाना

यह मंत्रालय महिलाओं से संबंधित मामलों में पुलिस की जवाबदेही में सुधार करने और पुलिस बल में महिलाओं की अधिक भर्ती करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। तदनुसार, सभी राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी जारी किया है कि पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को कुल संख्या के 33% तक बढ़ा दिया जाए।

इसके परिणामस्वरूप, 10 राज्यों, नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और 07 संघ राज्य क्षेत्रों, नामत: चंडीगढ़, दमन व दीव, लक्षद्वीप, दादर व नगर हवेली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में महिलाओं को आरक्षण दिया जा चुका है। इसके अलावा, 05 राज्यों, नामत: असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सिक्किम और उत्तराखंड में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया है।

पुलिस बल में महिलाओं की अधिक संख्या से न केवल रिक्तियों को भरने बल्कि पुलिस में महिलाओं के महत्व को मान्यता मिलेगी, पुलिस बल को महिलाओं के लिए अधिक मैत्रीपूर्ण बनाया जा रहा है और महिलाओं के लिए पुलिस तक पहुंचना सुगम हो जाएगा।

महिला शक्ति केंद्र (एमएसके)

जिला प्रशासनों की सहायता तथा विद्यार्थी वालंटियर्स को संघटित करके ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचना

ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न सहायता सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से महिला शक्ति केंद्र स्कीम शुरू की गई । ब्लॉक स्तरीय समिति के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में प्रति जिला 08 ब्लॉकों में 3 वर्षों की अवधि के लिए 115 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में 3 लाख विद्यार्थी वालंटियर्स को लगाकर ग्राम स्तर पर सामुदायिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जिला स्तर पर 640 जिलों में चरणबद्ध तरीके से नए जिला स्तरीय महिला केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। पहली बार ये केंद्र महिला केंद्रित स्कीमों को सुविधाजनक बनाने में ग्राम, ब्लॉक और राज्य के बीच एक संपर्क का कार्य करेंगे।

मैट्रिमोनियल वैबसाइटों का सुरक्षित उपयोग

मैट्रिमोनियल वैबसाइटों का दुरुपयोग रोकने और उन्हें महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के दिशानिर्देश

मैट्रिमोनियल वैबसाइटों पर सूचना के आदान–प्रदान के कारण महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सेवा प्रदाताओं के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया कि वैबसाइटों का दुरुपयोग रोकने के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार किया जाए।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संबंधित पक्षों के साथ शुरू की गई परामर्श प्रक्रिया के आधार पर 06 जून, 2016 को इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मैट्रिमोनियल वैबसाइटों के कार्यकरण पर एक एडवाइजरी जारी किया, जिसमें इस प्रकार के पोर्टलों पर महिला प्रयोक्ताओं को बेहतर संरक्षण प्रदान किया जाता है।

अप्रवासी भारतीयों के वैवाहिक विवाद

अप्रवासी भारतीयों के साथ विवाह के कारण समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करना

विदेशों में बसने वाले भारतीयों की संख्या में वृद्धि और इसके फलस्वरूप विदेशों में होने वाले विवाहों के कारण महिलाएं, चाहे भारत में रहती हों अथवा विदेशों में, परित्याग, घरेलू हिंसा, एक–तरफा विवाह–विच्छेद और बच्चों की अभिरक्षा आदि समस्याओं का सामना कर रही हैं। चूंकि, ऐसे मामले अंतरदेशीय अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में संबंधित महिलाओं को कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे पक्ष के विदेश में बसे होने के कारण ऐसी महिलाओं को वहां की कार्यविधियों की जानकारी का अभाव होता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक एकीकृत नोडल एजेंसी (आईएनए) गठित की है, जिसमें विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, विधि और न्याय मंत्रालय का प्रतिनिधित्व है। अप्रवासी भारतीयों के वैवाहिक विवादों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और रास्ता निकालने के लिए एकीकृत नोडल एजेंसी नियमित रूप से बैठकें करती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश और एकीकृत नोडल एजेंसी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, अप्रवासी भारतीय पतियों के आगमन/प्रस्थान पर निगरानी रखने और उन्हें भारत छोड़ने से रोकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार खोज परिपत्र (एलओसी) जारी किए जाते हैं।

भारत में अप्रवासी भारतीयों के सभी विवाहों का रिकार्ड रखने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया गया है। अप्रवासी भारतीयों के साथ विवाह से जुड़ी समस्याओं में महिलाओं को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय कदम उठा रहे हैं।

जेंडर चैम्पियन्स

महिला–पुरुष समानता पर अगुवाई के लिए बच्चों को रोल मॉडल बनाना

जेंडर चैम्पियन्स पहल का क्रियान्वयन युवा विद्यार्थियों में संचेतना पैदा करने और कानूनों, विधानों, कानूनी अधिकारों और जीवन कौशल शिक्षा के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार जेंडर चैम्पियन दिशानिर्देश मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से परिचालित किए जा रहे हैं।

शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अपनाए जाने के लिए जेंडर चैम्पियन्स के लिए एक ट्रेनिंग मॉडयूल तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 150 विश्वविद्यालयों और 230 कॉलेजों ने जेंडर चैम्पियन्स पहल का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है।

मृत्यु प्रमाण–पत्र पर विधवा के नाम का अनिवार्य उल्लेख

विधवा महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों का इस्तेमाल सुनिश्चित करना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि पति की मृत्यु हो जाने के बाद विधवा महिला को उसके सभी हक प्राप्त हों, भारत के महापंजीयक और राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य कर रहा है कि विधवा के नाम का उल्लेख उसके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र में अनिवार्य रूप से किया जाए।

वृंदावन, उत्तर प्रदेश में विधवाओं के लिए आश्रय गृह

भारत में विधवाओं के लिए आश्रय

वृंदावन, उत्तर प्रदेश में पूर्णतः सुसज्जित 1,000 बिस्तरों वाला आश्रय गृह

सुनरख बंगर, वृंदावन, जिला मथुरा में 57.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से (भूमि की लागत सहित) 1.424 हैक्टेयर भूमि पर विधवाओं के लिए एक आश्रय गृह का निर्माण किया गया है, जिसमें 1000 विधवाएं रह सकती हैं। इसका उद्देश्य विधवाओं को रहने के लिए सुरक्षित और संरक्षित स्थान उपलब्ध कराना, उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं, पोषक भोजन, कानूनी और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। गृह का अभिकल्प हैल्पेज इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है और यह वृद्ध महिलाओं के अनुकूल है। गृह में भूतल के साथ–साथ 3 तल हैं, इसमें रैम्प, लिफ्ट की सुविधा के अलावा पर्याप्त बिजली, पानी की आपूर्ति की सुविधा तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे कि वृद्ध विधवाओं और विशेष चुनौतियों का सामना करने वाली विधवाओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण

पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया है, जिससे कि उन्हें उनके गांवों को कारगर तरीके से शासित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके और उन्हें बुनियादी स्तर के बदलाव लाने वालों के रूप में विकसित किया जा सके। अब तक पूरे देश में 18,578 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न स्कीमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए चयनित महिला प्रतिनिधियों की नेतृत्व गुणवत्ता और प्रबंधन कौशल में सुधार करना, उन्हें महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी प्रदान करना तथा परिसंपत्ति सृजन और निर्माण कार्य की निगरानी करना है।

प्रसूति अवकाश की अवधि में विस्तार करना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रसूति अवकाश की अवधि का विस्तार सुनिश्चित करते हुए इस पहल की शुरूआत की

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कामकाजी महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 7 माह करने की सिफारिश की, ताकि वे शिशु के जन्म के पश्चात 6 महीनों तक केवल स्तनपान करा सकें और उसके पश्चात उसे पूरक आहार दे सकें, जिससे कि कुपोषण की घटनाओं में कमी लाई जा सके। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सिफारिश कर विचार करते हुए प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 में उपयुक्त संशोधन किए, जो कि इस प्रकार हैं:

1. प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रसूति अवकाश की अवधि को मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना।
2. दत्तक ग्रहण करने वाली माताओं और कमिशनिंग माताओं को प्रसूति लाभ की सुविधा।
3. कार्यालय/फैक्टरी परिसर में शिशुगृह की स्थापना।

यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है। यह प्रसूति लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 बन गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना

कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह मंत्रालय कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के कारगर क्रियान्वन की दिशा में कार्यरत है।

मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न अधिनियम पर एक हैन्ड्बुक प्रकाशित की है, जिसका उद्देश्य अधिनियम के उपबंधों के बारे में सरल और व्यवहारिक तरीके से जानकारी प्रदान करना है । इस हैन्ड्बुक को मंत्रालय की वेबसाइट, शी–बॉक्स पोर्टल और नारी पोर्टल पर डाला गया है । अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को समय–समय पर एडवाइजरी जारी की जाती रही हैं।

प्रमुख व्यापारी संगठनों, जैसे एसोचौम, फिक्की, सीआईएस, सीसीआई और नैस्कॉम से अनुरोध किया गया है कि वे निजी क्षेत्र के अपने संगठनों में कार्यरत सदस्यों के बीच अधिनियम का कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

इस मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित करने में सक्षम संस्थाओं/संगठनों को सूचीबद्ध किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए सूचीबद्ध संस्थाओं की हाल ही में संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। उनके द्वारा चलाए जा रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम/वर्कशॉप के संबंध में रिपोर्टें नियमित रूप से प्राप्त हो रही हैं।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013

यह अधिनियम घरेलू कार्य तथा
शैक्षणिक संस्थाओं सहित
सभी संगठित और असंगठित कार्यस्थलों पर लागू है।

देश में सभी महिला कर्मचारियों के लिए
शी–बॉक्स पोर्टल प्रारंभ, जिससे कि वे
अपनी शिकायतें ऑनलाइन भेज सकें।

इन मुद्दों के बेहतर तरीके से निपटान
के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं को तैयार
करने के लिए 112 प्रशिक्षण संस्थाएं सूचीबद्ध।

भारत सरकार ने इस अधिनियम के बारे में जानकारी के प्रचार–प्रसार के लिए हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं (बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलगू, पंजाबी और असमियां) में इलैक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफार्मों, जिनमें टेलीविजन (सूचीबद्ध निजी चैनलों और दूरदर्शन), डिजिटल सिनेमा (पीवीआर, यूएफओ, आईएनओएक्स, बीआईजी आदि) तथा रेडियो शामिल है, के माध्यम से एक व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया है।

मंत्रालय ने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली के सहयोग से यौन उत्पीड़न अधिनियम के उपबंधों के संबंध में सरकारी कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करने और उसे लागू करने के लिए उनमें व्यवसायिक सक्षमता का विकास करने के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है। निजी संगठनों को भी उनके मौजूदा सेवा नियमों और उनके अंतर्गत निर्धारित अनुशासनात्मक पद्धतियों के अनुसार मॉड्यूल में परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

राष्ट्रीय महिला कोष

गरीब महिलाओं को लघु ऋण का प्रावधान

राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी और 1993 में स्थापित लघु वित्त संगठन है।

राष्ट्रीय महिला कोष का प्रमुख उद्देश्य गरीब महिलाओं को विभिन्न आजीविका सहायता और जीविकोपार्जन गतिविधियों के लिए रियायती दरों पर ग्राहक अनुकूल पद्धति से मध्यवर्ती लघु वित्त संगठनों (आईएमओ), जिसमें अन्य के साथ–साथ धारा 25 के अंतर्गत कम्पनियां, गैर–सरकारी संगठन शामिल हैं, के माध्यम से लघु ऋण प्रदान करना है, ताकि ऐसी महिलाओं का सामाजिक/आर्थिक विकास किया जा सके।

राष्ट्रीय महिला कोष ने 1522 से भी अधिक गैर–सरकारी संगठनों/लघु वित्त संगठनों के माध्यम से 7.37 लाख से भी अधिक निर्धन महिला लाभार्थियों को कुल 366.77 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं और 304.10 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

लक्ष्य लाभार्थी महिलाएं परंपरागत और आधुनिक हस्तशिल्प से लेकर छोटी–मोटी दुकानें आदि जैसा छोटा व्यवसाय करके विभिन्न आर्थिक गतिविधियां शुरू करने वाली उद्यमी महिलाएं हैं। राष्ट्रीय महिला कोष की विभिन्न स्कीमों, जैसे मुख्य ऋण स्कीम, ऋण संवर्धन स्कीम आदि के माध्यम से ऋण स्वीकृत किए जाते हैं।

आंकड़े	पिछले विवरण	आंकड़े वर्तमान
स्वीकृत ऋण	360.00 करोड़ रुपये	366.77 करोड़ रुपये
संवितरित ऋण	302.00 करोड़ रुपये	304.10 करोड़ रुपये
लाभार्थी	7.35 लाख	7.37 लाख
गैर–सरकारी संगठन	1500	1522

महिला ई–हाट

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मार्च, 2016 में 'महिला ई–हाट' की शुरूआत की, जो कि महिला उद्यमियों/स्व–सहायता समूहों/गैर–सरकारी संगठनों के लिए एक अद्वितीय प्रत्यक्ष ऑनलाइन डिजिटल विपणन प्लेटफार्म है।
http://mahilaehaat-rmk.gov.in

महिला ई–हाट के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता के बीच सीधे संपर्क की सुविधा है और इस सुविधा का लाभ उठाना सरल है, क्योंकि ई–हाट का सारा काम मोबाइल के माध्यम से किया जा सकता है ।

29 राज्यों की महिला उद्यमी/स्व–सहायता समूहों/गैर–सरकारी संगठन लगभग 4500 उत्पादों/सेवाओं को प्रदर्शित कर रही हैं, जिससे 31,500 से अधिक महिला उद्यमी/स्व–सहायता समूह/गैर–सरकारी संगठन जुड़े हैं और इससे 5 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभ मिल रहा है ।

महिला आर्थिक विकास महामंडल (एमएवीआईएम), महाराष्ट्र के साथ सहयोग करने और उनकी महिला उद्यमियों/स्व–सहायता समूहों/गैर–सरकारी संगठनों के उत्पादों और सेवाओं को महिला ई–हाट पर प्रदर्शित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

पोर्टल पर प्रदर्शित 18 किस्म के उत्पाद हैं, नामत: कपड़े (पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए), बैग, फैशन का सामान/जेवरात, सजावटी और उपहार के रूप में देने की चीजें, घर को सजाने की चीजें, दरियां, कालीन, पायदान, टोकरियां, लिनेन/कुशन कवर, बक्से, मिट्टी के बर्तन, किराने का सामान, स्टेपल, आर्गेनिक, प्राकृतिक उत्पाद, फाइल–फोल्डर, औद्योगिक उत्पाद, शैक्षणिक सहायता सामग्री, सॉफ्ट टोयस, विविध।

जैसा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र और दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं ने बताया है कि वे इस पोर्टल के माध्यम से अपने उत्पादों को बेच सकी हैं।

www.mahilaehaat-rmk.gov.in.

भारत की महिलाएं–प्रदर्शनियां/महोत्सव

महिला उद्यमियों को मान्यता

विशेषकर ग्रामीण भारत की महिला उद्यमियों और कृषकों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें एक मंच प्रदान करने हेतु भारत की महिला महोत्सव भी आयोजित किए जा रहे हैं । ऐसे महोत्सवों से जानकारी के आदान–प्रदान तथा वित्तीय समावेश के माध्यम से समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए उद्यमवृत्ति अवसरों के सृजन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है।

दिल्ली हाट, नई दिल्ली में माननीय राज्यमंत्री, डॉ0 वीरेन्द्र कुमार तथा मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में भारत की महिला आर्गेनिक महोत्सव, 2017 का उद्घाटन करते हुए माननीय मंत्री, श्रीमती मेनका संजय गांधी

(i) भारत की महिला महोत्सव, दिल्ली हाट, नई दिल्ली 01 से 15 अक्टूबर, 2017:

नारित्व की भावना को उजागर करने और भारत में आर्गेनिक खाद्यान्न आंदोलन के बारे में जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से 01 से 15 अक्तूबर, 2017 तक दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में 'भारत की महिलाएं' प्रदर्शनी, 2017 का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का विषय था 'महिलाओं द्वारा तैयार किए गए आर्गेनिक उत्पाद'। प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमियों के लिए सहायता और प्रोत्साहन प्रदर्शित करना था, ताकि और अधिक महिलाओं को अपने उत्कृष्ट उत्पादों को प्रदर्शित करने और लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिल सके। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आर्गेनिक उत्पादों के लाभों के बारे में समुदाय में जागरुकता लाना था। यह कार्यक्रम महिला उद्यमियों के लिए एक सतत व्यवसाय कार्यविधि विकसित करने के लिए समग्र वातावरण बनाने में सफल रहा।

मुम्बई में भारत की महिलाएं महोत्सव, 2018 के प्रारंभ के समय माननीय मंत्री, ब्रांड अम्बेसेडर, सुश्री जूही चावला, व अन्य विशिष्टगण तथा मंत्रालय के अधिकारीगण

भारत के 25 राज्यों और देश के दूरस्थ भागों से 530 से भी महिला कृषकों और उद्यमियों ने इसमें भाग लिया और अपने उत्पाद को बेचते हुए महोत्सव की पूरी अवधि में दिल्ली में निःशुल्क निवास किया।

(ii) सात्विक खाद्यान्न महोत्सव, 2017– 23 से 25 दिसम्बर, 2017

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सात्विक खाद्यान्न महोत्सव, 2017 में भाग लिया। इसका उद्देश्य महिलाओं की बुनियादी जरूरतों से समझौता किए बगैर समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए जानकारी के आदान–प्रदान और उद्यमवृत्ति अवसरों के सृजन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना था। देश के विभिन्न भागों से अनेक आदिवासी महिलाओं और ग्रामीण समुदायों को अपने कौशल प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस मंच के माध्यम से विशेषकर महिलाओं ने उद्यमियों के रूप में अपने ज्ञान, विद्या और व्यापार कौशल का प्रदर्शन किया।

(iii) मुम्बई, 2018 – 16 से 20 मार्च, 2018, भारतीय महिलाओं द्वारा प्रदर्शनी

'भारतीय महिलाओं द्वारा प्रदर्शनी' आर्गेनिक महोत्सव, 2018 का आयोजन 16 से 20 मार्च, 2018 तक मुम्बई में पहली बार किया गया। इस प्रदर्शनी में 20 राज्यों के लगभग 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और कई किस्म के खाद्य और गैर–खाद्य आर्गेनिक उत्पादों को प्रदर्शित किया गया।

राष्ट्रीय महिला नीति 2017

लिंग समानता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ढांचा

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संबंधित पक्षों से प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात राष्ट्रीय महिला नीति, 2017 का प्रारुप तैयार किया। प्रारुप में एक ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है, जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को हासिल कर सकती हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में समान भागीदारों के रूप में हिस्सा ले सकती हैं। नीति के प्रारुप में यह परिकल्पित है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले/उनसे संबंधित मौजूदा कानूनों को संवैधानिक उपबंधों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप बनाया जाएगा, ताकि उनकी प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सक। इसमें अनेक संबंधित पक्षों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखा गया है। नीति निर्धारण की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में 15,000 से अधिक विभिन्न मतों पर विचार किया गया।

पासपोर्ट नियमों में संशोधन

एकल महिला के लिए पासपोर्ट बनवाने की आसान प्रक्रियाएं

पासपोर्ट नियमों में इस प्रकार संशोधन किया गया है कि पासपोर्ट के आवेदन फॉर्म में माता या पिता इन दोनों में से किसी का भी नाम दिया जा सकता है। महिलाओं को अब आवेदन के लिए अपने पतियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें अब आवेदन के दौरान विवाह/विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करना होता है। इससे एकल महिलाओं के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया सरल हो गई है।

मानव तस्करी से संबंधित कानून

संसद में मानव तस्करी विरोधी अधिनियम का प्रस्तुतीकरण

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी के पीड़ितों के (निवारण, सुरक्षा, तथा पुनर्वास) से संबंधित विभिन्न अपराधों को शामिल करके वर्तमान अंतर को पूरा करने और अवैध व्यापार के सभी पहलुओं को शामिल करने की दृष्टि से अवैध व्यापार – मानव अवैध व्यापार (निवारण, सुरक्षा एवं पुनर्वास) विधेयक 2018 पर एक व्यापक कानून का मसौदा तैयार किया है। इस प्रारूप विधेयक में ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित संस्थागत तंत्रों की स्थापना द्वारा पीड़ितों के लिए मजबूत, कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण का सृजन करके अवैध व्यापार से निपटने का प्रस्ताव भी किया गया है।

मंत्रालय ने, पणधारियों द्वारा व्यापक परामर्श के पश्चात, अवैध व्यापार पर एक व्यापक विधेयक का विचार किया है जो विनियामक और पुनर्वास पहलुओं के बीच विभाजन और अंतर को स्पष्ट करता है। यह विधेयक विचाराधीन है।

2014-15 | 2015-16 | 2016-2017 | 2017-2018

व्यक्तियों का अवैध व्यापार

(निवारण, सुरक्षा एवं पुनर्वास) विधेयक 2017

मानव तस्करी से संपूर्ण रूप से निपटना

- ड्राफ्ट एंटी ट्रैफिकिंग बिल 2016 पीनल प्रोविजन्स
- केमिकल पदार्थ के उपयोग के लिए या शोषण के उद्देश्य के लिए हॉर्मोन्स
- तस्करी और गवाह के पीड़ितों की पहचान के लिए
- तस्करी में नारकोटिक ड्रग या मनोविज्ञान पदार्थ या अल्कोहल के उपयोग के लिए

एसिड अटैक के पीड़ितों के लिए कार्यवाही करना

एसिड अटैक के पीड़ित व्यक्तियों के जीवन पर होने वाली स्थायी क्षति या हानि तथा निरंतर चिकित्सा सेवा को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने तेजाब हमले से होने वाली क्षति या हानि को विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की सूची के भीतर शामिल करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुरोध किया था। दिनांक 27 दिसंबर, 2016 को अधिसूचित हाल ही में पारित किए गए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में तेजाब हमले को दिव्यांगता के रूप में शामिल किया गया है।

कामकाजी महिला हॉस्टल

कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना

कामकाजी महिला हॉस्टल योजना का लक्ष्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित एवं समर्थ आवास प्रदान करना है। इन हॉस्टलों में रहने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए दैनिक देखभाल सुविधा भी मौजूद है। मंत्रालय गैर सरकारी संगठनों या राज्य सरकारों द्वारा इन होस्टलों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देता है। केंद्र सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अतिरिक्त) और कार्यान्वयन एजेंसियों के मध्य लागत हिस्सेदारी अनुपात किराए के परिसर में कामकाजी महिला हॉस्टल/चालू हॉस्टल के लिए भवन के निर्माण के लिए 60:15:25 होगा। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 65:10:25 होगा।

कामकाजी महिला हॉस्टल, जसोला, नई दिल्ली

वित्तीय वर्ष	बी ई	आर ई	खर्च किया गया वास्तविक व्यय	हॉस्टल की कुल संख्या स्वीकृत
2014-15	25 करोड़	10 करोड़	9.05 करोड़	3
2015-16	28 करोड़	15 करोड़	12.19 करोड़	8
2016-17	28 करोड़	28 करोड़	23.13 करोड़	14
2017-18	50 करोड़	30 करोड़	26.96 करोड़	22

1972–73 में इसकी शुरुआत से, पूरे देश में कामकाजी महिला हॉस्टल की स्कीम के अंतर्गत 958 हॉस्टलों को मंजूरी दी गई है। मंत्रालय गैर सरकारी संगठनों या राज्य सरकारों द्वारा इन हॉस्टलों की स्थापना के लिए प्रस्तावों को वित्तीय सहायता देता है। इन प्रस्तावों को मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है एवं समर्थन दिया जाता है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 69 नए प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं और 54 नए हॉस्टलों को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम को संशोधित किया गया है। स्कीम के वित्तपोषण स्वरूप के संशोधन के साथ–साथ, स्कीम के अंतर्गत अनुदान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सीधे ही जारी किया जाएगा।

शी–बॉक्स

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन रिपोर्टिंग

सेक्सुअल हेरासमेंट इलैक्ट्रॉनिक – बॉक्स (शी–बॉक्स) के शीर्षक वाली एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विकसित की गई है। शी–बॉक्स यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के समाधान को सुगम बनाने के लिए संगठित या असंगठित, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को सिंगल विन्डो पहुंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार का एक प्रयास है। शी–बॉक्स में शिकायत डाले जाने के बाद, यह शिकायत मामले में कार्यवाही करने की अधिकारिता रखने वाले संबंधित प्राधिकरण को सीधे ही भेज दी जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा शिकायतकर्ता आईसीसी/एलसीसी द्वारा की जा रही जांच की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं।

नई टैक्सी नीति (दिशा–निर्देश)

महिलाओं के लिए टैक्सी यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सख्त दिशा–निर्देश

महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों के साथ संशोधित महिला सुरक्षा के लिए नई टैक्सी नीति दिशा–निर्देश लाए गए हैं जैसे की सभी टैक्सियों में अनिवार्य जीपीएस पैनिक उपकरण, चाइल्ड लॉक को अक्षम करना, वाहन का पंजीकरण और ड्राइवर की फोटो सहित पहचान को मुख्य रूप से दर्शाना, महिला यात्रियों की इच्छा से ही सीट को शेयर करना आदि।

साइबर अपराध

महिलाओं एवं बच्चों के लिए साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाना

डिजिटल स्पेस का उपयोग महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को जारी रखने के लिए किया जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध से निपटने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सुझाव भी प्राप्त किए गए है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनका संज्ञान लिया है। साइबर अपराध के बारे में सूचना देने के लिए किसी व्यक्ति के लिए हॉट लाइन के रूप में कार्य करने के लिए तंत्र का सृजन किया जा रहा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बलात्कार तथा गैंगरेप बिंब चित्रण आदि को दूर करने के लिए आसान प्रक्रियाएं स्थापित की जाएंगी। साइबर अपराध के बेहतर निवारण और उससे निपटने के लिए जनता एवं प्राधिकरणों के मध्य जागरूकता को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बाल विवाह

पूरे देश में बाल विवाह की रोकथाम

भारत सरकार ने बाल विवाह को रोकने के बजाय बाल विवाह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पारित किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से समय–समय पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित रूप से कहा जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अक्षय तृतीया/अक्षय तीज जैसे त्यौहारों के दौरान बाल विवाह को रोकने हेतु सतर्कता को बढ़ाने के लिए जिला कलैक्टरों को नियमित रूप से पत्र भेजता है। बाल विवाह की रोकथाम और बालिकाओं की सुरक्षा राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 का एक महत्वपूर्ण भाग है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सों) 2012 के बीच ही द्विविभाजन के मुद्दे को उठाया है। चूंकि पोक्सो 2012 के प्रावधान का भारतीय दंड संहिता पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है इसलिए बाल विवाह में होने वाले सभी यौन संबंधों की सजा अति प्रवेशन यौन हमले या अति यौन हमले के रूप में दी जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप, हाल ही में प्राप्त की गई सफलता में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11 अक्टूबर 2012 को व्यक्ति और उसकी नबालिग पत्नी के बीच होने वाले यौन संबंध को अपराध माना था बशर्ते कि महिला उक्त जनहित याचिका (स्वतंत्र विचार बनाम केंद्र सरकार) में दी गई एक वर्ष की अवधि के भीतर शिकायत करे।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संशोधन का भी प्रस्ताव किया है ताकि इसके बाद होने वाले सभी बाल विवाह आरंभ से ही शून्य तथा विधिक रूप से अवैध माने जाएं। वर्तमान में बाल विवाह स्वतः ही शून्य होने के बजाय संविदा करने वाले नबालिग पक्ष के विकल्प पर शून्य करणीय है।

बाल विवाह का चलन व्यापक रूप से प्रचलित सामाजिक रीति–रिवाजों, परम्पराओं, निरक्षरता, गरीबी, समाज में महिलाओं की निम्नतम स्थिति तथा जागरूकता की कमी के कारण है। इन मुद्दों का समाधान केवल विधायी हस्तक्षेप द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) कार्यक्रम लड़कियों की शिक्षा और उनकी स्कूल छोड़ने की दर को कम करने को सुनिश्चित करने का कार्य कर रहा है। जिससे बाल विवाह में विलम्ब हो रहा है। बीबीबीपी अभियान का एक महत्वपूर्ण भाग बाल विवाह की पद्धति पर जागरूकता लाने और इसे हतोत्साहित करने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त नई स्थापित महिला शक्ति केंद्र स्कीम जागरूकता का सृजन करने और लैंगिक समानता तथा सशक्तिकरण के मुद्दों पर सूचना के साथ ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सुसज्जित करने पर केंद्रित होगी जिसका एक महत्वपूर्ण भाग बाल विवाह का निवारण भी होगा।

नारी

महिलाओं के लिए ऑनलाइन सूचनाओं का राष्ट्रीय संग्रह

नारी पोर्टल – ''नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉरमेशन फॉर वुमेन'' विभिन्न महिलाओं के लिए सरकारी स्कीमों और पहलों से संबंधित सूचना तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसे www.nari.nic.in पर देखा जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही महिलाओं को समान अधिकार, आर्थिक अवसर, सामाजिक समर्थन, कानूनी सहायता, घर आदि प्रदान करने के लिए कई स्कीमों और कानूनों को लागू कर रही है। इन सूचनाओं को एक ही जगह पर और अधिक आसानी से प्राप्त करने के लिए, नारी पोर्टल महिलाओं के लिए लगभग 350 सरकारी स्कीमों तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचना का सारांश प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रतिदिन और अधिक वृद्धि हो रही है। यह इन स्कीमों को प्रस्तुत करने वाले मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों तथा ऑन लाइन आवेदनों तथा शिकायतों के निपटारे का लिंक प्रदान करता है। महिलाओं को रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, दत्तक–ग्रहण, बचत एवं निवेश आदि जैसे विषयों पर महिलाओं के लिए आवश्यक सूचना भी प्रदान करता है।

www.nari.nic.in

स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन

शासकीय समस्याओं को सुलझाने के लिए विद्यार्थियों की ऊर्जा का उपयोग

मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2018 में भाग लिया है, जो शासन एवं जीवन की गुणवत्ता को सुधारने और भारत की समस्याओं को नया विकल्प उपलब्ध करवाने के लिए नागरिकों को अवसर देने के लिए जन समूह स्रोत विकल्पों को विद्यार्थियों की सृजनात्मकता और तकनीकी योग्यता का उपयोग करता है। कुल 40 विद्यार्थी टीमों ने इस समारोह में भाग लिया था, जिनमें से 36 टीमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के समस्या विवरणों पर ध्यान दे रही थी और 10 टीमों को चयनित विकल्पों के कार्यान्वयन के लिए मान्यता दी गई थी और ये टीमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ कार्य करेंगी।

जन शिकायत प्रकोष्ठ

नागरिकों से सीधे ही प्राप्त होने वाली शिकायतों का जवाब देना

यह प्रकोष्ठ महिलाओं और बच्चों को सरकार को सीधे ही ऑनलाइन शिकायतें भेजने का मार्ग बताता है। इस प्रकोष्ठ ने अपने आरंभ के समय से एक वर्ष के भीतर 1800 शिकायतों पर कार्यवाही की है। ये शिकायतें min.wcd@nic.in पर ई–मेल के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

ई–संवाद

गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करना

समाज और नागरिकों के साथ बातचीत के लिए मंच प्रदान करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। यह पोर्टल मंत्रालय के लिए अपनी स्कीमों और कार्यक्रमों पर सुझाव प्राप्त करने का मार्ग है। व्यक्ति और संगठन मंत्रालय के साथ अपना सुझाव, बेहतर पद्धतियों, शिकायतों आदि की हिस्सेदारी के लिए स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं। मंत्रालय द्वारा सभी सूचनाओं की जांच की जाएगी और प्रश्नों/शिकायतों का पर्याप्त रूप से जवाब दिया जाएगा। नागरिक www.esamvad.nic.in के जरिए ई–संवाद तक पहुंच सकते हैं।

www.esamvad.nic.in

प्रथम महिलाओं का सम्मान समारोह

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त करने वाली महिलाओं का सम्मान

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 20 जनवरी, 2018 को अपने प्रकार के पहले समारोह – ''प्रथम महिलाएं'' में अपने–अपने क्षेत्रों में महत्तवपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कर प्रथम आने वाली महिलाओं को बधाई दी। तकरीबन 112 महिलाओं, जिन्हें व्यापक अनुसंधान प्रक्रिया के पश्चात चयनित किया गया था, को राष्ट्रपति भवन में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मान प्रदान किया गया था। ''प्रथम महिलाएं'' सम्मान समारोह में दिल की पहली महिला डॉक्टर, प्रथम महिला जज, प्रथम महिला कुली, मिसाइल परियोजना की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, पहली पैरा टूपर, प्रथम ऑलम्पियन जैसी आदि महिलाओं को सम्मानित करने के लिए यह विशेष समारोह आयोजित किया गया था। 112 महिलाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को शामिल करने वाली कॉफी टेबल बुक ''प्रथम महिलाएं'' माननीय मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी सहित माननीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल और श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा जारी की गई थी। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पुस्तक का विशेष रूप से उल्लेख किया था और इसे एनएम पुस्तकालय में सरकारी वेबसाइट www.narendramodi.in पर अपलोड कर दिया गया है।

राष्ट्रपति भवन में प्रथम महिला बधाई समारोह के दौरान भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द और माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त करने वाली महिलाएं

बच्चों से संबंधित मुद्दे

लापता/मानव तस्करी के शिकार/फरार बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

उनकी सुरक्षा का सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय

i. खोया पाया पोर्टल: बच्चों की सुरक्षा के लिए नागरिकों की भागीदारी लाने के लिए जून 2015, में नागरिक आधारित पोर्टल अर्थात खोया पाया पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जो खोये और मिले हुए बच्चों की सूचना देने को सक्षम बनाता है। यह दो डाटाबेस के मिलाने की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। इस पोर्टल पर 8746 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण करवाया है (दिनांक 26 मार्च 2018 तक की स्थिति के अनुसार) और लापता देखे गए बच्चों के तकरीबन 10,447 मामलों का प्रकाशन पोर्टल पर किया गया है।

10,477 2015–18 के बीच सुलझाये बए लापता/देखे गए बच्चों की मामले

खोया पाया लापता बच्चों से संबंधित सूचना के विनिमय के लिए नागरिक आधारित वेबसाइट है।

www.khoyapaya.gov.in

ii. रेलवे के साथ समझौता ज्ञापनः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रेलवे के माध्यम से भागे हुए, छोड़े गए, अपहरण किए गए, मानव तस्करी के शिकार बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए रेलवे की मदद से कार्यान्वित की जाने वाली विशेष प्रचालन प्रक्रियाएं तैयार की है। बच्चों की मानव तस्करी के लिए स्रोत और मंज़िल के रूप में प्रयोग किए जाने वाले 60 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है और कठिन परिस्थितियों में चिन्हीकरण, बचाव, पुनः एकीकरण तथा पुनर्वास के लिए चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन तथा इसके भागीदारों के माध्यम से बचाव सेवाएं शुरू की गई है। इस उद्देश्य के लिए स्थापित चाइल्ड हेल्प डेस्क वर्तमान में 60 रेलवे स्टेशनों पर संचालित है। तथापि, मंत्रालय द्वारा 28 और अधिक रेलवे स्टेशनों तक सेवा का विस्तार करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। पूरे देश में 1000 स्टेशनों को शामिल किया जाएगा।

चाइल्ड हेल्प डेस्क माता–पिता/संरक्षकों की अनुपस्थिति में बच्चों को उनके माता–पिता/संरक्षकों में या उनके पुनर्वास के लिए रेलवे स्टेशन प्राधिकरणों के साथ मिलकर कार्य करेगा। रेल के डिब्बों में पोस्टरों के माध्यम से जागरूकता अभियान नवम्बर, 2015 में शुरू किया गया था। रेलगाड़ियों में लगभग दो लाख पोस्टर लगाए गए हैं जो उनके आस–पास होने वाले बच्चों, जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है, के बारे में मुसाफिरों को सावधान करते हैं। बच्चों को उनके माता–पिता के पास वापस भेजने या उन्हें बाल गृह भेजने से पहले अस्थायी रूप से चाइल्ड हेल्प डेस्क पर लाया जाता है। इन बच्चों की खोज के लिए रेलवे स्टेशनों पर लगातार घोषणाएं की जाती हैं। दिनांक 31.01.2018 तक की स्थिति के अनुसार इस सेवा के माध्यम से लगभग 34000 बच्चों की सहायता की जा चुकी है।

iii. चाइल्ड लाइन का विस्तारः चाइल्ड लाइन संकट की स्थिति में रहने वाले बच्चों को बचाने और उनकी सहायता करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल है। गत चार वर्षों में, चाइल्ड लाइन (हेल्पलाइन नं. 1098) का विस्तार 279 (2013–14 में) स्थानों से बढ़ाकर 420 स्थानों तक किया है और आगे इसका विस्तार 80 नई जगहों पर किया जाएगा। विस्तारित पहुंच के साथ, चाइल्ड लाइन लाखों बच्चों की मदद करने और उनके परिवारों को उनसे मिलवाने में सक्षम रहा है। हेल्पलाइन में आने वाली फोन कॉलों में (2017–18) में 1.8 करोड़ कॉलों तक की वृद्धि भी हुई है, जो (2013–14) में 38 लाख तक थी।

चाइल्ड लाइन 1098 देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए राष्ट्रीय, 24 घंटे, निरूशुल्क, आपातकाल टेलीफोन हेल्पलाइन एवं आउटरीच सेवा है।

CHILD LINE 1098 NIGHT & DAY

पॉक्सो ई–बॉक्स

बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए एक कारगर पहलः

बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में शिकायत करने में असमर्थ होते हैं। शिकायत करने का एक सुरक्षित और अज्ञात तरीका प्रदान करने के लिए, एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर इंटरनेट आधारित सुविधा, पॉक्सो ई–बॉक्स, प्रदान की गई है, जहां बच्चा या उसकी तरफ से कोई भी न्यूनतम विवरण के साथ शिकायत दर्ज कर सकता है। जैसे ही शिकायत दर्ज की जाती है, एक प्रशिक्षित परामर्शदाता तुरंत बच्चे से संपर्क करता है और बच्चे को सहायता प्रदान करता है। परामर्शदाता, जहां भी आवश्यक है, बच्चे की तरफ से औपचारिक शिकायत दर्ज करता है। अगस्त, 2016 में पॉक्सो ई–बॉक्स की शुरुआत के बाद से, इस सुविधा पर लगभग 1100 शिकायतें दर्ज की गई।

1100 शिकायतें प्राप्त हुई और संभाली गईं

- सुरक्षित और बेनामी
- प्रशिक्षित परामर्शदाता
- तत्काल सहायता

बाल यौन शोषण से निपटने के लिए
भारत का पहला ऑनलाइन शिकायत बॉक्स।

किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) मॉडल नियम, 2016

जेजे मॉडल नियम में महत्वपूर्ण संशोधन

किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (जेजे मॉडल नियम 2016) अधिसूचित हो गए हैं तथा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गए हैं जिससे किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2007 को 21.9.2016 को निरस्त हो गए हैं । जेजे मॉडल नियम, 2016 इस दर्शन पर आधारित हैं कि समाज में बच्चों का सुधार और उन्हें पुनः एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है। ये नियम बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुकूल है और इसलिए बच्चे का सबसे अच्छा हित प्राथमिक विचार है। बाल अनुकूल प्रक्रियाएं बोर्ड में शामिल की गई हैं।

जे.जे.मॉडल नियम, 2016 पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड और बच्चों की अदालत के लिए विस्तृत बाल अनुकूल प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है। इनमें से कुछ प्रक्रियाओं में शामिल हैं: जेल या लॉक–अप में कोई बच्चा नहीं भेजा जाए, बच्चे को उचित चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए, माता–पिता / अभिभावक को कानूनी सहायता आदि के बारे में सूचित किया जाए आदि। किशोर न्याय बोर्ड और चिल्ड्रन कोर्ट बच्चे को सहज रखे और उसके द्वारा समझने वाली भाषा में दिए गए प्रश्नों को समझने के बाद किसी भी डर के बिना तथ्यों और परिस्थितियों को बताने के लिए उसे प्रोत्साहित करें।

किशोर न्याय प्रणाली में बच्चों की प्रगति में संशोधन और उनके लिए पर्याप्त पुनर्वास और बहाली सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए जे जे मॉडल नियम, 2016 में विभिन्न नए फार्म जोड़े गए हैं । जे जे मॉडल नियम, 2016 में शामिल कुछ नए फॉर्म – केस मॉनीटरिंग शीट, विस्तृत व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना, बाल देखभाल संस्थानों के पंजीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण के लिए प्रमाण पत्र, किशोर न्याय बोर्ड / बाल कल्याण समिति आदि की त्रैमासिक रिपोर्ट आदि। साथ ही, निगरानी प्रावधानों को भी सुदृढ़ किया गया है।

दत्तक–ग्रहण विस्तृत सुधार

देश में गोद लेने की प्रक्रिया में सुधार

- सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 अधिसूचित किया है और अधिनियम के अध्याय–VIII में अनाथ और परित्याग बच्चों को गोद लेने और रिश्तेदारों द्वारा बच्चों को गोद लेने के लिए भी प्रावधान है।
- अधिनियम के अन्तर्गत् बच्चों के लिए अपना उत्तम हित सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा है और यह देश में गोद लेने की सभी रिपोर्टिंग प्रदान करता है जिसमें रिश्तेदारों द्वारा गोद लेना भी शामिल हैं।
- साथ ही, अधिनियम के तहत सभी गोद लेने प्रक्रिया केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित और भारत सरकार द्वारा यथा–अधिसूचित दत्तक–ग्रहण नियमों के अनुसार पूरी करनी होगी।
- केन्द्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन एजेंसी को इस अधिनियम के तहत केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के रूप में पुनर्गठित किया गया है।
- दत्तक–ग्रहण कानूनी रूप से केवल कारा और केयरिंग्स के माध्यम से ही होगा।
- कारा की कार्यक्रम गतिविधियों में शामिल हैं – एसएए–सीसीआई लिंकेज, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्लेसमेंट को बढ़ावा देना, हार्ड टू प्लेस बच्चों के लिए तत्काल प्लेसमेंट मॉड्यूल, परामर्श केंद्र, प्रशिक्षण और विकास। भारत सरकार ने दत्तक–ग्रहण विनियम दिनांक 4.1.2017 को अधिसूचित किए हैं और जेजे एक्ट, 2015 के खंड 2 के अनुच्छेद (3) के साथ यथा–पठित खंड 68 के अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 16.01.2017 से प्रभावी हैं ।

i. भारत में कहीं से भी किसी बच्चे को गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के साथ ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है ।

ii. केंद्रीय दत्तक–ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिंग्स), कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया के लिए कारा का एकमात्र आधिकारिक पोर्टल है ।

iii. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 80 और 81 के तहत अवैध रूप से गोद लेने में शामिल कोई भी व्यक्ति या एजेंसी को दंड दिया जायेगा ।

iv. अवैध रूप से बच्चा गोद लेने पर आप गैर–इरादतन बाल तस्करी नेटवर्क का भाग बन जाएंगे ।

v. दत्तक–ग्रहण एक सामाजिक–कानूनी प्रक्रिया है और दत्तक–ग्रहण में दलालों / बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं है चूंकि वे आपको अवैध रूप से बच्चे को गोद लेने के लिए गुमराह करेंगे ।

vi. दत्तक–ग्रहण विनियमों में देश तथा अन्तर्देश में ओएएस (अनाथ, परित्याग तथा छोड़ दिए

CARA

गए बच्चों) को गोद लेने के लिए प्रावधान हैं।

vii. विनियमों में रिश्तेदारों द्वारा देश में और देश से बाहर बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया भी परिभाषित है।

viii. सौतेले बच्चों का दत्तक–ग्रहण शामिल किया गया है।

ix. विनियमों में 32 अनुसूची भी संलग्न हैं जिसमें कोर्ट में दायर किए जाने वाले मॉडल दत्तक–ग्रहण आवेदन शामिल हैं और इससे न्यायालय आदेश प्राप्त करने में होने वाली देरी को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

x. अनाथ, परित्याग तथा छोड़े गए वर्ष (2015–16) में 3677 बच्चे बढ़कर 3788 वर्ष (2016–17) हो गए हैं।

कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता पैदा करना।

बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना

किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करते समय बच्चों को उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं/संसाधनों के बारे में जागरूक करना जरूरी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की किताबों के पीछे की तरफ चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), पॉक्सो ई–बॉक्स, बाल विवाह आदि के बारे में जानकारी छापने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) को राजी किया। बच्चों के अनुकूल जानकारी (जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पोक्सो ई–बॉक्स इत्यादि) एनसीईआरटी किताबों के कवर के पीछे की तरफ प्रकाशित की गई है।

क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर

शिशु की देखभाल के लिए

मंत्रालय ने अवांछित नवजात शिशुओं के जीवन को बचाने और उन्हें पारिवारिक देखभाल में पुनर्वास के इरादे से कारा द्वारा प्रबंधित दत्तक–ग्रहण नेट में रखने के लिए अस्पतालों, पीएचसी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर क्रैडल लगाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

हौंसला 2017 उत्सव

बाल अधिकार समारोह

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 16–20 नवंबर, 2017 के बीच बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों के लिए एक अंतर–बाल देखभाल संस्थान समारोह 'हौसला, 2017' की मेजबानी करके बाल अधिकार सप्ताह मनाया । इस समारोह का उद्देश्य इन बच्चों को प्रेरणा देने तथा मुख्यधारा में लाने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था। एक सप्ताह तक चले इस समारोह के दौरान बच्चों ने बाल संसद, पेंटिंग प्रतियोगिता, एथलैटिक्स प्रतियोगिता, फुटबॉल, शतरंज प्रतियोगिता और भाषण लेखन प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। पूरे देश के बाल देखभाल संस्थानों के 400 से अधिक बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

बाल देखभाल संस्थानों का पंजीकरण

सभी बाल देखभाल संस्थानों का पंजीकरण सुनिश्चित करना ।

जे.जे.अधिनियम 2015, के अनुच्छेद 41 के अनुसार देश के सभी बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआईएस) के लिए अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसका अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के सहयोग से एक व्यापक पंजीकरण अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के परिणामस्वरूप, वर्ष 2017–18 के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा यथा–सूचित अनुसार जे.जे.अधिनियम, 2015 के तहत लगभग 7800 बाल देखभाल संस्थान पंजीकृत किए गए हैं।

मनोवैज्ञानिक आघात, बाल संरक्षण और मानसिक बीमारियों पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन

मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से मनोवैज्ञानिक आघात, बाल संरक्षण और मानसिक बीमारियों पर दो–दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य पेशेवरों द्वारा बचपन की प्रतिकूलताओं पर अपने केंद्रित अनुसंधान को साझा करना और बच्चों की मनोवैज्ञानिक आघात से रोकथाम और संरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों के लिए एक कॉमन प्लेटफार्म तैयार करना था।

(माननीय राज्य मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार और मंत्रालय के अधिकारी राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर)

बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनपीएसी) 2016 तैयार की है। एनपीएसी, 2016, जो बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 (एनपीसी 2013) में निहित सिद्धांतों पर आधारित है। इसे माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2017 को जारी किया गया था। यह दृष्टिकोण सतत, बहु–क्षेत्रीय, समेकित और समावेशी है और सामाजिक सुरक्षा पहलों के माध्यम से परिवारों और समुदायों की क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित है ताकि वे अपने बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। इस योजना ने अभावों एवं जरूरतों के अंत:–संबंध पर ध्यान दिया और सभी स्तरों के सभी बच्चों को समग्र तरीके से अपनी पूरी क्षमता का विकास करना सुनिश्चित करते हुए उनमें से प्रत्येक के समाधान हेतु उपायों का प्रस्ताव किया है। यह सभी हितधारकों अर्थात् संबंधित मंत्रालयों / राज्यों / संघ शासित प्रदेशों, सिविल सोसायटी संगठनों, मीडिया, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और स्वयं बच्चों के मध्य अभिसरण और समन्वय पर फोकस करती है। इसमें बच्चों के लिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा व्यापक मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन फ्रेमवर्क निर्मित एक रोडमैप भी प्रस्तावित है। एक्शन प्लान की चार प्रमुख प्राथमिकताएं हैं – उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और विकास, संरक्षण एवं भागीदारी। विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के मौजूदा कार्यक्रमों और योजनाओं के आधार पर बड़े पैमाने पर रणनीति तथा कार्यवाही बिंदु तैयार किए गए हैं। तथापि, बच्चों से संबंधित नए और उभरते मुद्दों के लिए, यह आवश्यकतानुसार नए कार्यक्रमों और रणनीतियों के निर्माण का भी सुझाव देती है।

राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम

माताओं के लिए शिशुगृह (क्रैच) सुविधा सुनिश्चित करना

राष्ट्रीय क्रैच योजना कामकाजी माताओं और अन्य पात्र महिलाओं के बच्चों को डे केयर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिनांक 01.01.2017 से राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के सभी आवर्ती घटकों के लिए फंड शेयरिंग पैटर्न नीचे दिया गया है :

(i) राज्यों के लिए : क्रैच चलाने के लिए केन्द्र, राज्यों एवं संगठनों / संस्थानों के मध्य 60:30:10

(ii) उत्तर–पूर्वी क्षेत्र तथा हिमालयी राज्य: क्रैच चलाने के लिए केन्द्र, राज्यों एवं संगठनों / संस्थानों के मध्य 80:10:10

(iii) संघ शासित प्रदेश : क्रैच चलाने के लिए केन्द्र एवं संगठनों / संस्थानों के मध्य 90:10

स्कीम के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:

- कामकाजी महिलाएं, जो एक महीने में न्यूनतम 15 दिनों या एक वर्ष में 6 महीने के लिए कार्यरत हैं, उनके 6 महीने से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए डे–केयर की सुविधा प्रदान की जाती है।
- प्रत्येक क्रैच में 25 बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- क्रैच का लचीला समय: क्रैच क्षेत्र की अधिकांश माताओं के कार्य शैडयूल के अनुसार एक महीने में 26 दिन और साढे सात (7–1/2) घंटे प्रतिदिन के लिए खुले रहेंगे, जो प्रातः 7.00 बजे से अपराह्न 2.30 बजे, सुबह 8.00 बजे अपराह्न 3.00 बजे तक या सुबह 9.00 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक हो सकता है। यदि आवश्यक हो, तो उन माताओं के लिए, जो लंबे समय तक काम करती हों, मुनासिब दरों पर और पारस्परिक रूप से सहमत आधार पर अतिरिक्त समय के लिए अतिरिक्त भुगतान के साथ व्यवस्था की जा सकती है।

- स्कीम डे–केयर सुविधाएं भी मुहैय्या कराती हैं जिसमें सोने की सुविधाएं, पूरक पोषण, टीकाकरण स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी स्वास्थ्य मॉनिटरिंग, 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन, 03–06 वर्ष के बच्चों के लिए प्री–स्कूल शिक्षा तथा आपातकालीन दवाईयां आदि शामिल हैं।

- बीपीएल परिवारों से 20/– रुपये का उपयोगकर्ता शुल्क, उन परिवारों से 100/– रूपए, जिनके (माता–पिता) की आय 12000/– रुपये प्रति माह तक हो और उन परिवारों से 200/– रूपए, जिनकी (माता–पिता) की आय 12000/– रुपये प्रति माह से ऊपर हो । इससे समुदाय की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी और केंद्र के संसाधनों में भी बढ़ौतरी हो सकेगी जिसका उपयोग बच्चों के कल्याण और क्रैच की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

पोषण अभियानः राष्ट्रीय पोषण मिशन

पोषण एक राष्ट्रीय अधिदेश

POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण - देश रोशन

पोषण राष्ट्रीय अधिदेश के रूप में कुपोषण की समस्या से व्यापक स्तर पर निपटने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2017–18 में शुरू तीन साल के लिए 9046.17 करोड़ रुपये के बजट के साथ दिनांक 30.11.2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना करने हेतु मंजूरी दे दी है । पोषण अभियान – राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य बच्चों (0–6 साल) की पोषण स्थिति में सुधार करना, (0–3) साल के बच्चों में अल्प–पोषण को रोकने तथा कम करने के उद्देश्य के साथ किशोरियो और गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को तीन साल की निर्धारित अवधि में पोषण में सुधार हासिल करना; छोटे बच्चों (6–59 महीने) में एनीमिया को कम करना; महिलाओं और किशोरियों (15–49 वर्ष) में एनीमिया को कम करना और वर्ष 2017–18 से शुरू होकर अगले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य के साथ जन्म के समय कम–वजनी बच्चों की समस्या को कम करना है। सभी राज्यों और जिलों को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा अर्थात वर्ष 2017–18 में 315 जिलों को, वर्ष 2018–19 में 235 जिलों को और वर्ष 2019–20 में शेष जिले शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान मंत्रालय के साथ बुनियादी स्तर पर एनएनएम लाभार्थियों और सेवा वितरण की रियलटाइम–आईटी आधारित निगरानी की व्यवस्था करता है।

हालांकि कुपोषण सूचकांक के अनुसार वर्ष 2005–06 में एनएफएचएस (3) की तुलना में वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)–4 के मुताबिक कुपोषण में गिरावट आई है, लेकिन देश भर में कुल कुपोषण परिदृश्य अभी भी अंधकारमय दिख रहा है। एनएफएचएस–(4) में, 5 वर्ष से कम आयु के 35.7% बच्चे कम वजन वाले हैं और 38.4% बच्चे ठिगने दर्शाए गए हैं जो पिछले एनएफएचएस–3 में कमी का संकेत देते हैं, जिसमें 5 साल से कम उम्र के 42.5% बच्चे कम वजनी और 48% ठिगने बताए गए थे। इसके अलावा, 22.9% महिलाओं (15–49 वर्ष आयु वाली) में ऊर्जा की गंभीर कमी (बीएमआई 18.5 से कम) है जो पिछले एनएफएचएस–3 के स्तरों से कम है, जिसमें 35.5% महिलाओं में ऊर्जा की गंभीर बताई गई थी। एनएनएम का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प–पोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में) और जन्म के समय बच्चों का कम वजनी होने को कम करना है। मिशन वर्ष 2022 तक ठिगनेपन को 38.4% (एनएफएचएस –4) से कम करके 25% तक (2022 तक मिशन 25) करने का प्रयास करेगा।

मिशन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करता है अर्थात् महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आंगनवाड़ी सेवाएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरियों के लिए स्कीम; स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय की जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम); पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (डीडब्ल्यू एंड एस) का स्वच्छ भारत मिशन; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (सीएएफ एंड पीडी) की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस); ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम/ओआरडी) की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा); शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय के साथ पेयजल और शौचालय आदि। विभिन्न योजनाओं द्वारा किए गए इस तरह के अभियान का समर्थन करने के अलावा मिशन द्वारा एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए पोषण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एडवोकेसी, शिक्षा और संचार का उपयोग किया जाएगा। पंचायती राज संस्थानों को बीसीसी के लिए सामुदायिक जुटाव में शामिल किया जाएगा। पोषण अभियान के तहत जन आंदोलन, व्यापक सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से पोषण में सुधार के एजेंडे को जन आंदोलन में बदलने पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे में सुधार

आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे पर केन्द्रीत

सरकार आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) को 'जीवंत प्रारंभिक बचपन विकास केंद्र' के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के लिए गांव के प्रथम केन्द्र बन सकें। इस बारे में, कार्यक्रम आधारित प्रबंधन और संस्थागत क्षेत्रों को कवर करते हुए एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के सुधार और मजबूती के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

आंगनवाड़ी केंद्र पर सेवा वितरण में सुधार के लिए गहन प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2015 की शुरुआत में अनुमानित 4.5 लाख आंगनवाड़ी केंद्र (कच्चे/किराए के भवनों में चल रहे) में अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए स्वयं की कोई पक्की बिल्डिंग नहीं है।

इसलिए, इन आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवनों का निर्माण करने हेतु तत्काल आवश्यकता महसूस हुई। तदनुसार, 11 राज्यों में आईपीपीई ब्लॉक / अतिभार वाले जिलों को शामिल करते हुए 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त दिशा–निर्देशों पर दिनांक 13.08.2015 को हस्ताक्षर किए गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्र भवनों की गंभीर कमी को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2019 तक देश भर में 4 लाख आंगनवाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिनांक 17.02.2016 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के संशोधित संयुक्त दिशा–निर्देश को अंतिम रूप दिया गया है।

अभिसरण योजना के तहत, वर्ष 2015–16 के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 29,941 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण को मंजूरी दी और इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु 18,264.62 लाख रुपये के धनराशि जारी की। इसके अलावा, वर्ष 2016–17 के दौरान 81,809 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण करने के लिए 101,139 लाख रुपये

जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नियमित योजना के तहत 2362 एडब्ल्यूसी भवनों के निर्माण के लिए 3391 लाख रुपये की धनराशि भी जारी की गई थी। वर्ष 2017–18 के दौरान, राज्यों / संघशासित प्रदेशों को 20,000 एडब्ल्यूसी भवनों के सुधार के लिए 25,774.80 लाख रुपये, आंगनवाड़ी केन्द्रों में 70,000 शौचालयों के निर्माण के लिए 5413.79 लाख रुपये और आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1,323.75 लाख रुपये भी जारी किए गए थे।

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 4,000 मॉडल आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण में एक निजी क्षेत्र की कंपनी भी अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक (सीएसआर) ज़िम्मेदारी के तहत इस पहल में शामिल हो गई है।

पूरक पोषण (आईसीडीएस स्कीम के अन्तर्गत) नियम, 2017

प्रत्येक बच्चे के लिए पोषक आहार सुनिश्चित करना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, मंत्रालय ने दिनांक 20 फरवरी, 2017 को पूरक पोषण (एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम के अन्तर्गत) नियम, 2017 को अधिसूचित किया है ताकि प्रत्येक गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली माता के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट पात्रता को बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक और अधिनियम की अनुसूची– I। में यथा–उल्लिखित पोषण मानकों के अनुसार 6 महीने से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों (कुपोषण से पीड़ित बच्चों सहित) हेतु एक वर्ष में 300 दिनों के लिए नियंत्रित किया जा सके। पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्नों या भोजन की हकदारी मात्रा की आपूर्ति न होने के मामले में, ऐसे व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा यथा–निर्धारित समय–सीमा और तरीके अनुसार संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

आईसीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा पोषण सुधार परियोजना (इसनिप)

आईसीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा पोषण सुधार परियोजना (इसनिप)

पहले, महिला एवं विकास मंत्रालय समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) पॉलिसी फ्रेमवर्क, पद्धति एवं क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए और तीन वर्ष से कम आयु के बच्चे पर अधिक ध्यान केंद्रित करने तथा बेहतर पोषण परिणामों हेतु समुदाय नियोजन की सुविधा तथा अभिसरण कार्यों को मजबूत करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन के सहयोग से आईसीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा पोषण सुधार परियोजना (इसनिप), 3.68 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों को कवर करते हुए देश में 8 राज्यों के अतिभार वाले 162 जिलों में कार्यान्वित कर रहा था। अब, इसनिप पोषण अभियान (एनएनएम) में सम्मिलित हो गया है।

किशोरियों के लिए स्कीम

किशोरियों को सशक्त बनाना

केंद्रीय रूप से प्रायोजित किशोरियों के लिए स्कीम की शुरूआत प्रायोगिक आधार पर 205 जिलों में वर्ष 2010–11 में हुई । सरकार ने 16.11.2017 को 11–14 वर्ष की आयु की स्कूल छोड चुकी किशोरियों के लिए स्कीम को एक वर्ष की अवधि यानि 30.11.2018 तक जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है। स्कीम का लक्ष्य वर्ष में 300 दिन प्रति लाभार्थी प्रति दिन 600 कैलोरी, 18–20 ग्राम प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रियंट समेत पूरक पोषण मुहैया करना और स्कीम के गैर–पोषण घटक के तहत स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा अथवा कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना है। किशोरियों के लिए स्कीम के तहत पोषण हेतु लागत मानदंड वर्ष में 300 दिन के लिए मौजूदा 05 रूपये प्रति लाभार्थी प्रतिदिन को बढाकर 9 रूपये 50 पैसे प्रति लाभार्थी प्रति दिन कर दिया गया है।

सरकार ने किशोरियों के लिए स्कीम का चरणबद्ध तरीके से अर्थात वर्ष 2017–18 में 303 अतिरिक्त जिलों और वर्ष 2018–19 में देश के शेष जिलों में विस्तार और सार्वभौमीकरण करने के साथ–साथ किशोरी शक्ति योजना को परिसमापन करने का भी अनुमोदन कर दिया है। वर्ष 2017–18 में स्कीम का देश भर के 303 अतिरिक्त जिलों में और 01.04.2018 से सर्वत्र विस्तार कर दिया गया है। चल रही किशोरी शक्ति योजना को किशोरियों के लिए स्कीम में भी समाहित कर दिया है।

किशोरियों के लिए स्कीम हेतु वर्ष 2017–18 के लिए 460 करोड रूपये के आबंटन की तुलना में राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों की 89.54 लाख किशोरियों (राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा यथासूचित) के लिए 450.94 करोड़ रूपये जारी किये गये हैं।

यह स्कीम पोषण हेतु 50–50 और शेष घटकों के लिए 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (विधान सहित) के बीच साझा लागत से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जरिये क्रियान्वित की जा रही है। पूर्वोत्तर और तीन हिमालयन राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का अंश 90:10 के अनुपात में है और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वर्ष 2015–16 से 14वें वित्त आयोग के तहत राज्यों के फैसले से संसाधनों के उच्च अंतरण से राज्यों को स्कीम के तहत राज्य अंश के रूप में अधिक अंशदान करने की आवश्यकता है।

जंक–फूड के लिए दिशा–निर्देश

जंक फूड का न्यूनतम उपभोग सुनिश्चित करने के लिए दिशा–निर्देशों का क्रियान्वयन

जंक–फूड दिशा–निर्देश तैयार कर लिए गये हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को क्रियान्वयन हेतु अग्रेषित किये गये हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से सम्बद्ध विद्यालयों को दिशा–निर्देशों का पालन करने के लिए अनुरोध किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) से अनुरोध किया गया है कि सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को तदनुसार एडवाइजरी जारी करे। दिशा–निर्देशों में यह भी सुझाव दिया गया है कि विक्रेता / गली–मुहल्ले के विक्रेताओं को किसी भी विद्यालय के 200 मीटर के दायरे में स्कूल टाइम के दौरान ऐसी खाद्य सामग्री को बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। स्कूल कैंटीन में प्रदान की जाने वाली उपयुक्त खाद्य वस्तुओं की सूची भी दिशा–निर्देशों में वर्णित है।

साथ ही, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अत्यधिक वसा, नमक और चीनी के संबंध में दिशा–निर्देशों / सिफारिशों पर कार्य करने के संबंध में अपर सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित अत्यधिक वसा, नमक और चीनी(एचएफएसएस) से संबधित विशेषज्ञ समूह का सदस्य है।

खाद्य एवं पोषण बोर्ड की प्रमुख पहल

खाद्य एवं पोषण बोर्ड की उपलब्धियां

1. नयी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एफटीएल) की स्थापना करना

एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम के तहत आंगनवाड़ी सेवाओं में पूरक पोषण के लिए पोषणीय और आहार मानक सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता हेतु खाद्य और पोषणीय तत्वों का विश्लेषण करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफएनबी) की 04 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं जिनमें फरीदाबाद में 1 केंद्रीय प्रयोगशाला और मुंबई, चैन्नई और कोलकाता में 03 क्षेत्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है।

2. खाद्य पुष्टीकरण पहल

देश में व्यापक रूप से प्रचलित सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का निवारण करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पहल की है। खाद्य वस्तुओं का संपुष्टीकरणः सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों अर्थात पूरक पोषण, मिड डे मील और सरकारी राशन प्रणाली के तहत दोहरे संपुष्ट नमक (आयोडीन और आयरन), गेहूं का आटा (आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 और खाद्य तेल (विटामिन ए और डी) को अनिवार्य कर दिया गया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सचिव का दिनांक 10 जुलाई, 2017 का अ.शा. पत्र सं. 25.16.2015–पोषण डेस्क यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था कि छत्रक समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के तहत आंगनवाडी सेवाओं के एसएनपी की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त खाद्य वस्तुओं का अनिवार्यतः संपुष्टीकरण हो।

3. पोषण पर ऑडियो विजुअल क्रिएटिव का विकास

देश में मातृ एवं बाल पोषण के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड (एफएनबी) ने हिंदी और 17 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में निम्नलिखित ऑडियो विजुअल तैयार किये हैं:

(क) लघु फिल्म
- नवजात की सुरक्षा
- गर्भावस्था के दौरान आहार
- गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य देख–रेख

(ख) रेडियो स्पॉट
- गर्भावस्था के दौरान आहार
- कुपोषण के लक्षण

(ग) बाल कुपोषण के संबंध में जिंगल्स
- एक तेरी मुस्कान
- बच्चों का रखना है ध्यान
- ओ माँ ओ बाबा
- मन में बसा खुशियों का गांव

नवजात की सुरक्षा (जीवन चक्र दृष्टिकोण को देखते हुए) पर ऑडियो विजुअल माँ बनने वाली महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को आवश्यक शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार किए गए है। यह वीडियो व्यापक प्रदर्शन हेतु जिला अस्पतालों समेत मंत्रालयों और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया गया है।

4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शिशु और बाल आहार व्यवहार (आईवाईसीपी) के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की साझेदारी से संयुक्त परिचालनात्मक दिशा–निर्देश का मसौदा तैयार कर रहा है और बच्चों में कुपोषण के निवारण और कुपोषण के प्रबंधन के लिए समुदाय आधारित परिचालनगत दिशानिर्देश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष हैं।

केन्द्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, फरीदाबाद के निर्माण का दृश्य

केन्द्रीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कोलकाता का दृश्य

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

आधार से जुड़ने के लाभ

भारत सरकार ने व्यक्तियों के साथ–साथ समूहों को विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों सेवाओं, सुविधाओं/लाभों अथवा आर्थिक सहायता (सब्सिडी) की प्रदायगी, जहां भारत की संचित निधि से धन व्यय किया जाता है, के लिए लाभार्थियों की पहचान हेतु आधार का प्रयोग करके प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) को अपनाया है। आधार का प्रयोग सरकारी सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल करता है, उसमें पारदर्शिता लाता है और कार्यक्षमता को बढाता है जिससे लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से उनकी पात्रता की धनराशि उनके बैंक खाते में मिल सके।

अपनी स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसके क्रियान्वयन के लिए 14 स्कीमों/घटकों की पहचान की है। साथ ही, लाभार्थियों के पहचानकर्ता के रूप में आधार के प्रयोग को सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार ने आधार (वित्तीय और अन्य आर्थिक सहायता, लाभ और सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम, 2016 घोषित किया है।

इसके अनुसरण में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपनी सभी 14 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) चल रही स्कीमों के संबंध में यूआईडीएआई और विधिक मंत्रालय द्वारा विधिवत पुनरीक्षित अधिसूचना भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की चल रही स्कीम की सूची और आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत जारी की गई अधिसूचना आम जनता के सूचनार्थ मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in–>DBT पर उपलब्ध है।

मंत्रालय की इन स्कीमों/घटकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के क्रियान्वयन के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन आवश्यक पूर्व अपेक्षाओं अर्थात लाभार्थी के डाटाबेस और बैंक खातों का डिजिटीलाइजेशन, एमआईएस के रीयल टाइम की प्रक्रिया और सृजन का स्व–चालन (ऑटोमेशन), राज्य / केंद्र शासित क्षेत्र भुगतान पोर्टल का लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से एकीकरण आदि कार्यों को पूरा कर रहे हैं और मंत्रालय गहनता से मॉनीटरिंग कर रही है।

ई–ऑफिस का क्रियान्वयन

कार्यक्षमता और दक्षता की अनुक्रिया में सुधार

मंत्रालय ने ई–ऑफिस को क्रियान्वित किया है जिसमें मंत्रालय में सूचना, आवेदनों/सेवाओं की वन स्टॉप एक्सेस मुहैय्या कराने और कार्यक्षमता और कार्यसाधकता की सरकारी अनुक्रिया में सुधार लाने के लिए फाइल प्रबंधन प्रणाली (ई–फाइल), ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस), अवकाश प्रबंधन प्रणाली (ई–लीव), दौरा प्रबंधन प्रणाली (ई–ट्यूर), कार्मिक सूचना प्रबंधन प्रणाली (पीआईएमएस), सहयोग एवं संदेश सेवा (सीएएमएस) सम्मलित है। मार्च 2018 तक 40,000 से अधिक इलैक्ट्रानिक फाइल (ई–फाइल) बनायीं गई हैं। इसके परिणामस्वरूप लेखन–सामग्री वस्तुओं की खरीद में कमी, समय, लागत एवं कार्यालय स्थल की बचत,स्टॉफ/अधिकारियों की उत्पादकता में वृद्धि और पारदर्शिता आयी है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरएंडपीजी) द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ई–ऑफिस के सफल क्रियान्वयन के लिए प्लेटिनम मिनिस्ट्री का दर्जा दिया गया है। मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरएंडपीजी) द्वारा 14.03.2018 को ई–ऑफिस के क्रियान्वयन हेतु किये उल्लेखनीय/सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है।

सहयोगी गैर–सरकारी संगठन (पार्टनर एनजीओ) का पहला सम्मेलन

मंत्रालय के सांख्यिकी ब्यूरो ने मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन से जुड़े साझेदार गैर–सरकारी संगठन (पार्टनर एनजीओ) का 09 अक्टूबर, 2017 को नई दिल्ली में पहला एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में महिला एवं बाल कल्याण की विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए देश भर के सहयोगी गैर–सरकारी संगठन (पार्टनर एनजीओ) को उनके विगत अनुभव, जमीनी स्तर पर कार्य–निष्पादन और बेहतर नीति तैयार करने के लिए सुझाव देने के लिए संवेदनशील बनाया गया। इससे भविष्य में राष्ट्र के विकास में मदद मिलेगी। विभिन्न भागीदारों के परिचालन के लिए इस बारे में रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है।

अनुसंधान

सफल प्रलेखन एवं अनुसंधान

ब्यूरो ने प्रगतिशील कार्यक्रमों के विकास, कार्यक्रमों/नीतियों एवं सेवाओं की व्यवहार्यता और प्रभावोत्पादकता का परीक्षण करने के लिए अनुसंधान अध्ययन 2015–17 के संबंध में सार–संग्रह प्रकाशित किया है। सार–संग्रह से अनुसंधान अध्ययन के निष्कर्ष का अधिकाधिक श्रोताओं में प्रसार होगा। सार–संग्रह सभी संबंधित व्यक्तियों को परिचालित किया जा रहा है।

इंटर्नशिप कार्यक्रम

युवा छात्रों को अभिमुखीकरण

मंत्रालय ने अल्पकालिक इंटर्नशिप प्रदान करके मंत्रालय की नीतियों और कार्यकर्मों में युवा–छात्रों/स्कॉलरों को काम पर रखकर और अभिमुख करके इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस कार्य से मंत्रालय के शासनादेश से छात्रों को गुणात्मक अनुभव प्रदान किया जाता है। वर्ष 2016 में इसकी शुरूआत से कुल 86 छात्रों ने इस कार्यक्रम का लाभ उठाया है और 18 इंटर्न इस समय कार्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर सहभागिता

सोशल मीडिया पर किए गए कार्यों की उपलब्धियां

मंत्रालय सोशल नेट्वर्किंग प्लेटफार्म फेसबुक, ट्विटर और यू–ट्यूब के जरिये लाखों फालोअर्ज़ से सक्रिय रूप से जुड़ा है। सोशल मीडिया महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मुद्दों, सकारात्मक रवैया और व्यव्हारात्मक परिवर्तन पर आम जनता के बीच जागरूकता का प्रसार करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। इस माध्यम से सरकार की विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के संबंध में सूचना के प्रसार को महत्व एवं बढावा भी दिया जा रहा है।

लोगों को जोड़े रखने के लिए सोशल मीडिया संचालन पर साप्ताहिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिसमें महिला एवं बालकों के सशक्तीकरण और संरक्षण के रूप में सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

मंत्रालय का सोशल मीडिया प्लेट्फार्म ऑन लाइन प्राप्त शिकायत के संपर्क के नोडल प्वाइंट का कार्य भी करता है और संबधित प्रकोष्ठ मंत्रालय की शिकायत निवारण टीम, राष्ट्रीय महिला आयोग और एनसीपीसीआर से #HelpMeWCD अभियान के जरिये निवारण प्रणाली से तालमेल करता है। इन उपायों का मीडिया से अक्सर व्यापक कवरेज मिलता है। प्रकोष्ठ यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और भारत सरकार द्वारा यथा निष्पादित कार्यसूची और समर्थन के अनुरूप मंत्रालय रहे। मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यों का फोकस सोशल मीडिया पर महिला की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने पर रहा है। मंत्रालय जुलाई, 2016 से शिकायत निवारण प्रकोष्ठ चला रहा है जो देश भर से महिलाओं और बालकों से ई–मेल के माध्यम से सीधे प्राप्त शिकायतों को रजिस्टर करता है और उनका निवारण करता है। शिकायत प्रकोष्ठ की ऑन–लाइन ट्रोलिंग / उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए समर्पित ई–मेल आईडी अर्थात complaint-mwcd@gov.in उपलब्ध है।